consent under rule 222......' I do not know whether he has given consent or not.

श्री शिव चन्द्र झा : उन की कंसेंट आ गई इस तरीके से मुझ को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि यह विशेषाधिकार को जो बात है यह एडीटर से पूछी जा रही है तो इस के क्या माने हैं ? इस का मतलब है कि यह ऐडमिट हो गया है लेकिन मुझे इसे उठाने की इजाजत नहीं दी गई ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will explain the procedure. Whenever a member raises this question, the Speakar, before doing anything, ascertains the position from the editor. I think this has been followed in every case.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : No, Sir. In the past also it has happned, two or three privilege motions were brought, and the Members were allowed to stand up in their seats and say whatever they wanted to say. but in my case a communication has been sent to me saying that the matter has been accepted and the Editor has been asked to explain, and that later when his reply comes, it would be sent to me. This is strange. The House would not know what the issue was at all. When a privilege issue is brought up, it should be allowed to be raised here and the House should know what it is about. The House should also know that the matter has been sent to the Editor, and the reply when received, should be communicated to the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think that the matter will be brought up before the House when the reply is received.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस बारे में स्टेटमेंट दे कि न्यूयार्क में वहां की सेनेट की उप-समिति में एक सेनेटर नेल्सन ने इस बात को कहा कि अमरीका की ड्रग कम्पनियां भारत पाकिस्तान और दूसरी विकासोन्मुख देशों में अपनी दवाओं की कीमत 1.5 हजार से 5 हजार प्रतिशत तक वहां से अधिक लेती हैं ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : This was published in the *Times of India*. I think Members know about it. Kindly send a proper notice if you want to raise this question, not in this way.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आप की मार्फत मैं इस्पात मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 20 तारीख को बोकारों में वहां के कर्मचारी और मजदूर हजारों की तादाद में अपनी मांगों के सम्बन्ध में टोकेन स्ट्राइक करने जा रहे हैं एक दिन का । वहां कट्रैक्टर प्रथा भी जारी है जिस के कारण उनको बहुत कष्ट है । अभी 20 तारीख में देर है । मैं चाहूंगा कि इस बीच में इस्पात मंत्री दखल दे कर वहां का मसला तय करवा दें ताकि वहां हड़ताल न हो और कारखाने के काम को आगे बढ़ाने में आसानी हो । मंत्री महोदय को इस का कोई न कोई हल निकलना ही चाहिये ।

14.13 hrs

MOTIONS *RE*: REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND THE COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—Contd.

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछली शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि 23 वर्ष की स्वतंन्त्रता के बाद भी हरिजनों से सम्बद्ध समस्याओं का सन्तोषजनक समाधान नहीं हो सका । यह खेदजनक है और लज्जाजनक भी है । गांधी जी ने अपने जिन रचनात्मक कार्यों को ले कर के स्वतन्त्रता की लड़ाई का संचालन

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

किया था उन में अस्पृश्यता निवारण और हरिजनों के उत्थान की समस्या एक प्रमुख स्थान रखती थी। लेकिन आजादी के बाद इस समस्या पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि आज असन्तोष की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, जिस के बारे में आज इस संसद्-भवन में हम अपने प्रतिनिधियों के भाषणों में सुन रहे हैं।

गांधी जी ने जिन रचनात्मक कार्यों को लिया था उन में स्वराज्य की बुनियाद थी। वह बार-बार जोर देते थे यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आजादी का कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन इन समस्याओं की तरफ भ्रमवश न तो जनता ने ध्यान दिया और न नेताओं ने ही उतना ध्यान दिया और न ही सरकार ने अपने कर्त्तव्यों का पालन किया। इसी वजह से चाहे हरिजनों की समस्या हो, चाहे हिन्दू मुसलिम एकता की समस्या हो, चाहे शराबबन्दी की समस्या हो और चाहे राष्ट्र भाषा का प्रश्न हो, हर एक समस्या अपने विकट रूप में इस समय हमारे सामने आई हैं। हर एक समस्या के समाधान के मार्ग में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि अगर उन को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई तो एक समस्या देश के लिये सिर दर्द बन जायेगी।

आज हरिजनों में बड़ा भारी असन्तोष पैदा हो रहा है। राजनीतिक स्तर पर सब को मतदान का अधिकार मिलेगा, संसद और विधान सभाओं में उन को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन बाकी जो आर्थिक क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र हैं उन में चाहे किसी के भी दोष से हो उन को उस तरह से स्थान नहीं मिल पा रहा है जिस से उन को उचित सन्तोष मिले और इस स्थिति का कोई समाधान-कारक रास्ता निकल सके। उपेक्षा की हालत यह है कि यहां पार्लियामेंट के मेम्बर या विधान सभा के सदस्य चाहे कुछ अपना स्थान सम्मान कायम रखवा भी लें, अपनी बात अपना भी लें, लेकिन नीचे के स्तर पर उन लोगों की उपेक्षा सब जगह उसी तरह से हो रही है चाहे वह शहर में रहते हों या देहात में रहते हों। उनकी आर्थिक हालत वैसी की वैसी है। आर्थिक हालत की खराबी से उनकी शिक्षा सम्बन्धी स्थिति भी उसी तरह खराब है। उस में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हो पाया है। जो भी सुधार हुआ है वह सारी समस्या के अनुपात की दृष्टि से कोई बहुत सुन्तोषजनक नहीं है। इस लिये इस बात की आवश्यकता है कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाया जाये।

कुछ सदस्यों ने मांग की है कि सेना में भी उन को स्थान दिया जाये। यह मांग अपनी जगह पद बहुत उचित लगती है, लेकिन हम उस परिपाटी का पालन करते आ रहे हैं जिस को अंग्रेजों ने चला रक्खा था। अंग्रेज सरकार ने अपने शासन को चलाने के लिए फौज में उन लोगों को किया भरती जिन्होने देश में उनकी तरफदारी की थी। जो उनके कहने में नहीं चले जिन्होंने विद्रोह किया उन जातियों को, उन वर्गो को उन्होंने दूर रक्खा। परिणाम यह हुआ कि आज भी उसी पद्धति को अपनाये हम चले आ रहे है। फलस्वरूप आज जो अनुसूचित जाति के नाम से पुकारे जाते हैं, जो बड़े लड़ाकू थे और हमेशा लड़ाई में आगे रहते थे प्राचीन काल में, उन की इस समय बड़ी भारी उपेक्षा हो रही है। आखिर उन्हें वही स्थान अब क्यों न दिया जाये ?

साथ ही साथ फौज में जो जातियों के नाम पर रेजिमेंट कायम रक्खी गई हैं उन को भी आज क्यों कायम रक्खा जाये? जो लोग लड़ने वाले हैं, बहादुर हैं, वह किसी खास जाति की बपौती नहीं हैं। किसी खास जाति में ही लड़ाकू पैदा होते हैं और किसी खास जाति में लड़ाकू पैदा नहीं होते हैं इस बात को

मान्यता न पहले थी और न आज होनी चाहिए। लेकिन जो परिपाटी अंग्रेजों ने रख दी है उसी को हम आज भी कायम रक्खें इस को किसी तरह से उचित नहीं माना जा सकता।

अनुसूचित जातियों में जिन जातियों को गिना जाता है उन में बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिन का हमारे धर्म शास्त्रों में, स्मृतियों और पुराणों तक में कोई नाम नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। आज उन को शुद्रों की श्रेणी में मानी जाती है। उन में से कई जातियां ऐसी हैं जिन के साथ छोटे वर्णों जैसा व्यवहार होता है। इस देश में दोनों तरफ गलतफहमी पैदा हो गई है, जो अपने को ऊंचे मानते हैं उन में भी और जो उन के द्वारा पीड़ित नीचे कहे जाते हैं उन में भी दोनों में जो गलफहमी पैदा हो गई है। उस को दूर करने के लिए मैं चाहूंगा कि सरकार कोई अनुसंधान उस पर करवाये। जो शास्त्र हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन को शोध कराई जाये यह जातियां पैदा कैसे हुई हैं, उन का आविर्भाव यहां से हुआ है। हम ने जो कुछ पढ़ा, देखा और समझा है, उस के मुताबिक हम ऊंची नीची जातियों का कोई उल्लेख पुराने ग्रंथों में नहीं पाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि जो हमारे शोधकर्ता है वह अनुसंधान करके बतलायें कि भंगी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, भंगी शब्द कहां से आया और इस शब्द का प्रचलन कहां से हुआ। मुसलिम पीरियड तक इस का कहीं उल्लेख नहीं है, इस जाति का नाम कहीं नहीं है। अगर हमारे यहां इस तरह की कोई जाति नहीं थी, इस तरह कीं कोई बातें नहीं थीं तो यह शब्द कहां से आया ? इसी तरह से जो दूसरी जातियां बनीं उनका कब अविर्भाव हुआ, किस आधार पर हुआ, किन कारणों से हुआ, इसके बारे में भी शोध कार्य सरकारी स्तर पर होना चाहिए। मै चाहता हूँ कि इस सब की खोज वैज्ञानिक तथा साहित्यिक दोनों ही दृष्टियों से, दोनों ही ढंगों से की जाए और जो सत्य है उसको सामने ला कर रखा जाना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि जो गलतफहमियां पैदा हो गई है वे बहुत हद तक दूर हो जाएगी। साथ ही जो भेदभाव पैदा हुए हैं, जो मनमुटाव पैदा हुआ है, दोष जो आ गए हैं, वे भी काफी हद तक दूर हो जाएंगे, उनका भी बहुत कुछ निराकरण हो जाएगा।

एक समस्या जोकि आर्थिक है, वह भी पैदा हो गई है। पुरानी और आज की परिस्थितियों में एक और भी बड़ा अन्तर हो गया है। ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सामान्यतया अच्छी है बनिस्बत उनकी स्थिति के जोकि अनुसूचित जातियों के कहे जाते हैं। पुरानी वर्णाक्रम व्यवस्था को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ण वाले लोगों के लिए एक क्षेत्र सीमित रहता था। वे दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते थे। जो पुरानी जाति व्यवस्था थी उस में उस समय शासक व्यवस्था दिया करते थे कि कौन वर्ग कौन वर्ण किस क्षेत्र में जाए। गुण दोषों को देख कर प्राचीन काल में इस तरह की व्यवस्था दी जाती थी। आज वह बात नहीं है। कोई व्यवस्था देने वाला नहीं है। समाज अपने ही आप और अपने ही ढंग से काम कर रहा है। सब मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। जिस के मन में जो आ रहा है वह उस तरह से ही काम कर रहा है और इस कारण से एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण से कई चीजें ऐसी हैं जो सुव्यवयस्थित ढंग से नहीं चल पा रही है। ऐसी हालत में एक नई पद्धति क्या अपनाई जाए, समाज का संचालन किस रूप में एक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है और उसकी रूपरेखा क्या हो, इस पर भी अनुसंधान होना चाहिये।

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

एक वर्ण या एक जाति के लोग आज एक धंधा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन की इच्छा होते हुए भी, जो चाहते हुए भी, कोई धंधा नहीं पा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जिन के पास पैसा है, वे शिक्षित भी हो गये हैं उनके पास जमीन भी आ गई है, अच्छी अच्छी नौकरियां भी उनको मिल गई हैं और व्यापार आदि भी वे करने लग गए हैं। दूसरे वे लोग हैं जिन के पास सब कुछ होते हुए भी पैसे के अभाव में वे शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनके पास जमीन भी नही हो पाती है, उनको कोई धंधा भी नहीं मिल पाता है। सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि हर परिवार को कोई न कोई धंधा करने के लिए मिले और ऐसा धंधा उसको मिले जो उसकी योग्यता, उसके काम की शक्ति को देखते हुए उसके उपयुक्त हो। उसके लिए साथ ही साथ किसी दूसरे धंधे की भी व्यवस्था की जाए। एक परिवार तो बढ़ता चला जाए, फलता फूलता चला जाए और दूसरा परिवार माथापच्ची करता रहे और येन केन प्रकारेण पढ़ लिख भी उस में से कोई ले तो उसको नौकरी भी न मिले, रोजगार भी न मिले तो उसका दुष्परिणाम एक असन्तोष के रूप में हमारे सामने प्रकट होगा और वह असन्तोष एक भयंकर रूप फूट पड़ेगा, जिसको दबाना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर फौज या पुलिस के बल पर भी काबू नहीं पाया जा सकेगा, उसको दबाया नहीं जा सकेगा। आज परिस्थिति इस रूप में हमारे सामने आ कर खड़ी हो गई है कि जो गरीब हैं वह शिक्षित भी नहीं हो पाता है और अगर किसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर भी लेता है तो अगर वह किसी बड़ी ऊंची नौकरी पर नहीं है तो उसकी कोई पूछ नहीं है, उसके साथ न्याय नहीं होता है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि गरीब आदमी जो सच्चाई के साथ काम करना चाहता है, ईमानदारी के साथ रोजी रोटी कमाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, उसको कोई धंधा नहीं मिलता है और इस कारण वह परेशान रहता है बल्कि पुलिस की भी उस के ऊपर कुदृष्टि होती है, न्यायालय से भी पैसा न होने के कारण उसको न्याय नहीं मिल पाया है और पैसा न होने के कारण वह दरख्वास्त भी नहीं दे पाता है। अगर थोड़ा बहुत पैसा हुआ और दरख्वास्त दे दी तो वकील को अगर वह पैसा नहीं दे पाता है तो उसके केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं होता है।

आर्थिक स्थिति जैसी अनुसूचित जातियों की है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है लिकिन मूसहर जाति के लोगों की तरफ में सरकार का खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही हैं। उनके पास कोई घर नहीं, कोई जमीन नहीं। वे कुछ दिन तक किसी की जमीन में किसी के पेड़ के नीचे टूटी फूटी झोंपड़ी डाल लेते हैं और कुछ दिनों के बाद उसको हटा कर दूसरे के पेड़ के नीचे अपनी झोंपड़ी डाल लेते हैं। उनका कोई भी प्रतिनिधि न पार्लियामेंट और न ही किसी असेम्बली में है। उनके दुख-दर्द को पूछने वाला कोई नहीं है। वे पुराने आदिवासी हैं। यह जाति ऐसी है कि भयंकर परेशानियों के बावजूद भी इन में से कोई भीख नहीं मांगता है। ये लोग आज भी जूठी पत्तलें उठा कर पुराने ढंग से अपना पेट पालते हैं। उनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भाग में ये बड़ी भारी तादाद में गांव गांव में फैले हुए हैं। उनकी दुर्दशा बयान नहीं की जा सकती है। उनकी हालत को सुधारने की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने कई कई बार उनके बारे में कहा है और लिखा भी है। उनको न तो अनुसूचित जातियों में शामिल

किया गया है और न ही बनवासियों या आदिवासियों में उनको शुमार किया गया है और कारण यह है कि वे जंगली क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। उनकी हालत को तरफ मैं आपका खास ध्यान दिलाना चाहता हूं।

भूमि देने का आन्दोलन सरकार की तरफ से भी चलाया जा रहा है। पार्टियां भी इसके लिए आन्दोलन कर रही हैं कि भूमिहीनों को खेती करने के लिए भूमि दी जाए। अगर भूमि नहीं दी जाती है ता कम से कम इतना प्रबन्ध तो कर ही दिया जाना चाहिये की अनुसूचित जातियों में से जिन लोगों के पास अपना मकान बनाने तक के लिए जमीन नहीं है, उनको अपना मकान बनाने के लिए जमीन तो दे दी जाए। साथ ही अपने जानवरों के लिए चारे का प्रबन्ध करने के लिए तथा अपने लिए कुछ साग सब्जी पैदा करने के लिए कुछ जमीन तो उनको मिलनी ही चाहिये और बिना कीमत के मिलनी चाहिये। साथ ही जहां तक हो सके उसी गांव में मिलनी चाहिये जहां वे रह रहे हैं। हो सके तो उसी जगह पर उनको जमीन मिलनी चाहिये। अगर मकान के लिए, साग सब्जी के लिए जमीन दे दी गई उनको और कोई न कोई धंधा उनको दे दिया गया जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकें तो मैं समझता हूं कि और चीजें जो हैं उनको बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है।

अन्त मे मैं फिर कहूंगा कि सरकारी तौर पर शोध करवाया जाए कि जाति प्रथा और यह ऊंच नीच की भावना कब से आई और किस परिस्थितियों में आई। इस भावना को मिटाने के लिए, इस बीमारी को मिटाने के लिए मैं यह भी चाहता हूं कि समुचित उपाय हों और इसके लिए कोई तिथि निर्धारित कर दी जाए। आपने कानून तो बना दिया है कि छुआछूत जो बरतेगा उसको दंडित किया जाएगा। कानून अपनी जगह पर है। लेकिन उसके बावजूद भी यह बुराई दूर नहीं हुई है। यह कैसे दूर हो इस पर आज गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इसको दूर करने के लिए शीघ्रता से पग उठाए जाएंगे।

मैं यह भी चाहता हूं कि इन लोगों को फौज में अच्छी संख्या में भरती का मौका मिलना चाहिये और इनको अपना शौर्य और पराक्रम दिखलाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ शब्द कहने के लिए अवसर दिया।

श्री एन० ई० होरो (खुंटी) : शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज् कल्याण से सम्बन्धित प्रतिवेदनों की हम चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों के उत्थान की मांग सभी ओर से की जा रही है। ये कौन लोग हैं ? ये हिन्दुस्तान के मूल निवासियों में से है। भारत के प्राचीन भद्र लोग ये आदिवासी अभी भी अपनी संस्कृति को अपनाए हुए है। आर्यों ने जब इस देश में प्रवेश किया, तबउनके साथ इनका संघर्ष हुआ और काल चक्र के प्रभाव में इनकी हालत खराब हुई। उस संघर्ष के बाद जो एक समाज आया, जो व्यवस्था आई, वह आर्य हिन्दुओं की थीं। जिन लोगों ने आर्यों की दासता स्वीकार कर ली वे हरिजन कहलाए। उनकी अवस्था आज भी वैसी ही है जैसी हजारों बरसों पहले थी या आर्यों के आने के पहले थी। जिन्होंने आर्यों की दासता स्वीकार न की और जंगलों पहाड़ों में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की, ये ही आदिवासी हैं। यह तो उस जमाने की बात हुई। लेकिन हम को आज़ाद हुए 23 साल हो गए हैं, उसके बाद से भी आज हम यहां जो उनकी दयनीय दशा की चर्चा कर रहे हैं, यह इस बात का सबूत है कि आज भी इनकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी इनकी वही अवस्था है जो पहले थी। यह इस बात को दर्शाता है कि 22

[श्री एन० ई० होरो]

साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश पर शासन किया और उसके द्वारा बने प्रशासन यंत्र ने कभी भी दिल से आदिवासियों एवं हरिजनों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलाई और हृदय से उनकी उन्नति और उत्थान के लिए काम नहीं किया। अवश्य ही संविधान में इनके लिए कुछ सुविधायें रखी गई हैं। और भी सुविधायें देने की बात की जा रही है। कमिशन की रिपोर्ट्स में भी बहुत अच्छी अच्छी सिफारिशें हैं।

मगर इन सिफारिशों के बावजूद इस देश में हरिजनों और आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था बहुत खराब है। इस से यह साबित होता है कि सरकार ने इन सिफारिशों को इम्प्लीमेन्ट नहीं किया है। जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है, ये सिफारिशें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार के प्रशासन-तंत्र मे हरिजनो और आदिवासियों के प्रति कोई वेदना, कोई सहानुभूति नहीं है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उसमें अधिकतर लोग आदिवासी है। जैसाकि आप जानते हैं, आज जमीन की समस्या ने सबके मनो को विचलित और आन्दोलित कर दिया है। उसने लोगों के मनों मे एक क्रान्ति सी ला दी है। हरिजनो और आदिवासियों की आर्थिक व्यवस्था जमीन पर आधारित है। उनकी उस जमीन को न केवल महाजन और दूसरे बड़े लोग, जिन के पास आर्थिक ताकत है, हड़प लेते हैं, बल्कि सरकार भी उनकी जमीन को ले लेती है— वह सरकार, जिसका यह धर्म और कर्तव्य है, तथा वचनबद्ध है कि आदिवासियों और हरिजनों की जो जमीन गैर कानूनी ढंग से हस्तान्तरित हो गई है, उसको वापस दिलाया जायेगा, वह सरकार भी अपने कुछ कामों के लिए इन गरीब और कमजोर लोगों की जमीन को ही बिना उचित मुआवजा दिये छीन लेती है।

जितना भी अरबनाइजेशन होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज या प्रोजेक्ट्स बनाई जाती हैं, उन के लिए सरकार अक्सर ऐसे लोगों की जमीन ही पसन्द और अर्जित करती है जो कमजोर और गरीब हैं। रांची शहर के दस मील के रेडियस में जो सबसे अच्छी पैडी लैंड थी, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी उसको अर्जित कर सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग कारखाना बनाया। पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी वहाँ की सरकार के अत्याचार और उत्पीड़न से तबाह होकर या इस देश में अधिक अच्छा जीवन व्यतीत करने व भाग्य बनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, सरकार उनको रुपया-पैसा और मकान आदि देकर दिल्ली के आस पास और दूसरे स्थानों में बसाने का इंतजाम करती है। लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के स्थापित किए जाने से जो लोग अपरूटिडा (uprooted) या विस्थापित हो जाते हैं, उन को बसाने की सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।

सरकार ने अपने बहुत से अफसरों को इस बात का अध्ययन करने के लिए दूसरे देशों में भेजा कि वहां पर विस्थापितों को कैसे बसाया जाता है। उसने इस पर लाखों रुपये खर्च किए होंगे। मैंने पर्सनली देखा है कि पश्चिमी जर्मन सरकार ने लड़ाई के बाद पूर्वी जर्मनी से आए हुए शरणार्थियों को किस तरह बसाया। आज मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो आदिवासी और गैर-आदिवासी लोग रांची में हैवी इंजीनियरिंग कारखाना बनाये जाने से विस्थापित हो गए, उनको सरकार ने कैसे बसाया है। उनके साथ यह किया गया था कि उनको जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सरकार ने उन लोगों को कुछ रुपया दिया, लेकिन उसने इस तरफ ध्यान

नहीं दिया कि वे लोग उस रुपये से किस तरह अपनी जिन्दगी बसर करेंगे। सरकार जानती है और पूरा देश जानता है—कि आदिवासी और हरिजन खेती से सम्बन्ति हैं। और उनको किसी अन्य व्यवसाय या तिजारत का इल्म नहीं है। इस स्थिति में सरकार के लिए यह उचित था कि वह उन लोगों को बसाने के लिए कोई व्यवसाय या इल्म सिखाने का इंतजाम करे। यह सरकार की जवाबदेही थी और है।

इसलिए सरकार एक कानून के जरिये यह पाबन्दी लगा दे कि आईन्दा किसी पब्लिक सैक्टर या प्राईवेट सेक्टर के प्राजेक्ट के लिए कोई जमीन अर्जित करने के परिणामस्वरूप जो लोग विस्थापित होंगे, जबतक उनको पूरी तरह से बसाने, उनके लिए जमीन, मकान, शिक्षा और व्यवसाय आदि का पूरा इन्तजाम नहीं कर लिया जायेगा, तब तक उनकी जमीन अर्जित नहीं की जायेगी। सरकार ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों के कल्याण के नाम में गत तेईस सालों में सरकार ने जितना रुपया बर्बाद किया, जितनी मेहनत की और जितना समय दिया, अगर वह उसका पच्चीस परसेंट भी इमानदारी के साथ खर्च करती, तो आज हमारे देश का चेहरा बदल गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मुझे लगता है कि आज भी यह सरकार इमानदार नहीं है। वह तीन चार रिपोर्टों को एक साथ सदन में ले आई है। जब सदन के सदस्यों ने आवाज उठाई, तो इस चर्चा के लिए बीस घंटे का समय दिया गया है। यह बहुत स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि यह सरकार इमानदार नहीं है। सरकार इतने महत्वपूर्ण विषय को डिसकस करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं देना चाहती थी।

मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस आदिवासी क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां की अवस्था बहुत एक्सप्लासिव है। जिस लैंड ग्रैब मूवमेंट के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि उसकी बुनियाद में, उसके मूल में, क्या कारण है? इस सदन में हर तरफ के सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं, सरकार गहराई से उन पर गौर करे। मैं लैंड ग्रैब मूवमेंट का हिमायती नहीं हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें इस लिए हो रही हैं कि जो सरकार का धर्म, कर्तव्य और जवाब देहित्व है, उस को सरकार ने नहीं निभाया है।

बिहार में राष्ट्रपति शासन जब था तब सदन में आदिवासियों की जमीन वापिस दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा चली थी।

एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार आदिवासियों की जो जमीन गैर कानूनी ढंग से हस्तान्तरित कर दी गई है, वह उनको वापिस दिलाई जाएगी। बिहार राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार इस उतरदायित्व से बच नहीं सकती है। क्या सरकार यह बता सकती है कि कानून में संशोधन के बाद कितने केस सरकार के पास आए, जिनका उसने सैटलमेंट किया? वह नहीं बता सकती है। हमने इस बारे में आन्दोलन करना चाहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर यह काम शान्ति से हो जाए, तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज देश खतरे में हैं। वह आदिवासी, वह हरिजन जिनकी आप उपेक्षा करते आ रहे हैं, इतना तो समझते हैं कि अगर हमारे देश में अमन और चैन नहीं रहेगा तो उन्नति नहीं होगी। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। अगर आज यहाँ हमारे देश में झंझट हो जाए तो वह दूसरे देश में जाकर बस जायेंगे। लेकिन यहां जो छोटे लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं उनको तो कोई दूसरा चारा नहीं है। वह चाहते हैं कि शान्ति और अमन से अपना काम काम करें। तो सरकार से हम यह कहना चाहते हैं कि आज

[श्री एन० ई० होरो]

भी समय रहते हुए आप इनकी प्रगति एवं विकास के लिए मौलिक परिवर्तन लायें और ईमानदारी से जो अधिकार इनके हैं, आप दें और उसको इम्प्लीमेंट करें। चाहे वे नीचे तबके के लोग हों, आदिवासी हों, हरिजन हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, तब आप इस देश में समाजवाद ला सकते हैं और डैमोक्रेसी की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो डैमोक्रेसी और समाजवाद की रक्षा करना आपके बूते की बात नहीं है। यह जिस ढंग से क्रान्ति चल रही है यह सामाजिक व आर्थिक क्रान्ति है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता है इसी प्रकार कांग्रेस दल ने भी सोचा था कि हमारे राज में भी कभी सूरज नहीं डूबेगा। लेकिन क्या हुआ? आज बहुत सारे राज्यों से आपकी कांग्रेस सरकार गई और आज देश में राजनैतिक अस्थिरता है। इसकी गहराई में अगर आप जायेंगे तो मालूम होगा कि नीचे तबके के लोग अब ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। वह समय आएगा चाहे आप चाहें या न चाहें, व्हेदर यू लाइक इट आर नाट, जब पिछड़ी जाति के लोग, जो हरिजन और आदिवासी हैं, वह इस देश की सरकार की बागडोर सम्भालने वाले हैं। आप चाहें या न चाहें यह क्रान्ति आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इन प्रतिवेदनों में कई सिफारिशें अच्छी हैं। मैं चाहूंगा कि इन सिफारिशों पर अच्छे ढंग से अमल हो। फिलहाल इन को न तो राज्य की सरकारें कर रही हैं, न केन्द्र की सरकार कर रही है। केन्द्र की सरकार पर भी बहुत ज्यादा रेस्पांसिबिलिटी है। आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में मैं कह रहा था कि संविधान में राज्यपाल को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन कोई राज्यपाल आदिवासियों के सम्बन्ध में कोई विशेष या मौलिक चिन्ता नहीं करता है। आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। आदिवासियों के कल्याण का कोई ठोस काम नहीं हुआ है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज की जो रिपोर्ट है उस में कहा गया है कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हमारे आदिवासियों की अपनी भाषा है। जब यहां संस्कृत नहीं थी इस देश में आदिवासियों की अपनी भाषा थी और है। इनकी अपनी सभ्यता थी। मातृभाषा प्रारम्भिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में आदेश है कि आदिवासियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन डाइरेक्टर आफ लिंग्विसटिक माइनोरिटीज की रिपोर्ट आप देख लें। बंगाल, बिहार, व उड़ीसा में जहां कि आदिवासियों की संख्या ज्यादा है यहां इन तीन राज्यों से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसी सूरत में मध्य प्रदेश की भी है। इनके आंकड़ों की सूची आप देखें तो उसमें बिल्कुल ब्लैंक पायेंगे। क्यों? इस लिए कि वहां की सरकारें, वहां का प्रशासन और उसमें जो लोग हैं जो इन सरकारों की पालिसी को चलाते हैं वे इसको नहीं चाहते हैं। इनकी ऐसी मशीनरी बनी है जो बिल्कुल अनसिम्पैथिटिक हैं। तो मैं पूछता हूं कि इसकी क्या दवाई है? सरकार के कर्तव्य हैं जनहित के कार्य करने के। मगर जिन अफसरों के जरिए, जिस प्रशासन व्यवस्था, जिस मशीनरी के जरिए वे इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं जब आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो क्या दवा है इस की? इसको तो सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आज देश में जहां वायलेंस की बात होती है, हर क्षेत्र में विद्रोह होगा और अव्यवस्था होगी। हरिजन और आदिवासी तथा पिछड़ी जाति के लोग इस देश में जब शक्ति हाथ में लेंगे तो उन्हीं के आगे आपको झुकना पड़ेगा। मैं पूछता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से आप आदिवासी और हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं। क्या आप अपनी कैबिनेट में ऐसे लोगों का अधिक संख्या में जगह देंगे? क्या

आप तैयार हैं इसके लिए ? अगर हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हैं और दुनियां को यह दिखाना चाहते हैं तो आदिवासी या हरिजन में से किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दें। मगर आपसे यह होगा नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नेता साउथ अफ्रीका की रंगभेद की नीति की अलोचना करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि जिस क्षेत्र से में आता हूं आप ने उसे एक कालोनी बना कर रखी हैं। इसीलिए झारखंड तथा उससे सटे बंगाल उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जहां कि आदिवासी हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियां ज्यादा संख्या में हैं, येह यह चाहते हैं कि वहां एक अलग राज्य हो, एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण हो। इस की चर्चा 30 साल से हो रहा है। मैं इस सदन में इस को दोहराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जब तक आप अलग झारखंड राज्य नहीं बनाएंगे तब तक वहां के लोगों की उन्नति नहीं होगी। क्योंकि हम ने 22 साल तक देखा है न तो राज्य की सरकार उन के साथ सहानुभूति रखती है न केन्द्र की सरकार भीषण शोषण का एक सिलसिला चल रहा है। आज वहां एक कालोनी बसी हुई है। आप यह कहेंगे कि यह तो एक दस्तूर हो गया है कि हर एक कोने से अलग राज्य की दरख्वास्त आती है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लिंग्विस्टिक स्टेट बनाते हैं, छोटे छोटे स्टेट बनाते हैं, क्या जस्टिफिकेशन उस का है ? जहां पर कि आर्थिक, ऐतिहासिक और हर प्रकार से अलग राज्य बनाने का जस्टिफिकेशन है, वहां के लिए उस तथ्य को तो आप सहज से भूल जाते हैं और छोटे छोटे क्षेत्रों को ले कर आप अलग राज्य बनाते चले जाते हैं। तो इसके माने यह हैं कि आप की नीति पक्षपातपूर्ण है ? इसके मानी यही हैं कि आप हमारा शोषण करना चाहते हैं क्यों कि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रकृतिक धन एवं मिनरल्स हैं। डिफेंस के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वहां सामग्री उपलब्ध है। वहीं से सब चीजें आएंगी, इसलिए हमारे राजनैतिक एवं आर्थिक आकांक्षाओं को दब कर आप शोषण करते रहना चाहते है। मैं कहना चाहता हूं कि वह एरिया एक्सप्लोसिव है। अगर आप ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उस क्षेत्र की बात नहीं सोची तो आप को धोखा होगा। आप को मालूम होना चाहिए कि अगर वहां के लोग जो बहुत आन्दोलित हैं उन को शोषण से आप नहीं बचाएंगे और शोषण वहां की जनता तब तक बच नहीं सकती जब तक वहां के लोगों के लिए आप अलग झारखण्ड राज्य का निर्माण नहीं करेंगे। बगैर इसके उन की उन्नति होगी नहीं और मैं इसमें संदेह नहीं करता कि पूरे हिन्दुस्तान की आर्थिक प्रगति, इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिक प्रगति रुक जायगी। आप को बहुत बड़ा धोखा होगा। अगर आप यह सोचते हैं कि वहां के लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं तो यह आप की गलती होगी। मैं पूछता हूं कि क्या यह हिन्दुस्तान की सरकार को शोभा देता है कि जहां आप साउथ अफ्रीका की रंग भेद की नीति की निन्दा करते हैं वहीं आप झारखण्ड वासियों के प्रति कोअर्सिव नीति अपनाते हैं, यय डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है ?

आज हमारी सरकारों के सामने चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चूंकि बहुत से राज्यों में भी इनकी पार्टी की ही सरकार है, मैं चाहूंगा कि आप आदिवासियों एवं हरिजनों के सम्पूर्ण उत्थान की समस्याओं पर गौर फरमायें और जो समय आपको मिला है, उसमें इस काम को पूरा करें। सरकार में बैठने का जो बहुमूल्य समय आपको मिला है, आप यह समझकर काम करें कि आपकी इतनी ही जिन्दगी है, एक या दो रोज की। अगर आप यह समझें कि आपकी एक रोज की जिन्दगी है और मरने से पहले हम सारा काम कर लें, इस अर्जेन्सी के साथ आप काम करेंगे तो आप इस

देश के लोगों की उन्नति कर सकेंगे। आप इसको भूल न जायें उन लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं जो भारत की आबादी के 90 फीस दी हैं, जो नीचे तबके के हैं, जिनको उठाना हमारा आपका सबका कर्त्तव्य है। इस देश में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो सारे वायलेन्ट डिमांस्ट्रेशन्स जो हो रहे हैं, लैंड ग्रेब या हाऊस ग्रेब रुकेंगे नहीं। मैं ने जो बातें कही हैं, आशा है कि हमारी सरकार के नेता उस पर गौर फरमायें और सिर्फ आईवाश करने के लिए नहीं बल्कि ठोस काम करने के लिए कदम बढ़ायें। जब आप यह काम करेंगे तो हम क्या सारी जनता आपके पीछे रहेगी।

SHRI DINKAR DESAI (Kanara) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, this problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people is a very vast problem and I would like to confine myself to deal with only two very important aspects of this question, namely, education first, and then the land problem. These two, to my mind, are the most important aspects of the problem affecting these unfortunate people.

Sir, even the commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in his latest Report admits the fact that very little progress has been made with regard to these people. I would like to read out the quotation. He says :

> "The key to the upliftment of all backward classes lies in the field of education. In spite of the advance made during the last 17 years it must however be confessed that the progress registered is too small in comparison with what should or could have been done."

This is a clear indication of not only failure, but of condemnation of the educational policy of the Government of India and the State Governments. He himself clearly admits that very little progress has been made with regard to these people compared to the general progress all over the country. This quotation clearly shows that these people, scheduled castes and tribes have been discriminated by the Governments both at the Centre and at State levels in the field of education. And, all this has happened because the Government has not tried to solve to problem in an honest way. Unless Government takes greater care and tries to solve the problem in an honest way, this problem of education of these people can never be solved.

Sir, the ordinary schools and the ordinary schools facilities do not help these poor people very much, because I have seen this with my own eyes in my own constituency. The Harijans who are living there are not only poor, but they are hungry. Poverty is not the problem with regard to these people; the question is of hunger. they don't get even one full meal a day and that is the reason why they can't afford to send their children to chools. Unless you give those childern at least one fullmid day meal a day they cannot afford to send their children to school. After three five year plans, and three one year plan and the fourth plan is now running, we find that the condition of these unfortunate people has not improved at all in my district.

So, I would suggest, if you are to be really honest and sincere to give education to these people, you must give them a full midday meal, because, that is an inducement to these people to send their children to schools. They prefer to keep their children at home because they do some little odd jobs for them—they go out to collect the cattle dung and that becomes an earning for them, whereas if they send these children to school, they cannot get that earning. Everybody will be starving. This I have seen in my own constituency. Therefore, you must give them mid-day meal to solve this problem. It is no use starting a school and asking these people to send their children to school.

In the report it is stated that some States are giving midday meals. For instance, Tamil Nadu and Kerala. It is stated in the Report that only 6 paise was sanctioned per mid-day meal in Tamil Nadu. In Kerala, it is 5 paise. This is in the Report itself. It is not from my imagination. It is impossible to give a meal with 5 paise or 6 paise. I do not know what kind of meal you can have in these days of high prices, for 5 paise and 6 paise. This is again a dishonest way of doing things. If we

say that we are providing mid-day meals at five or six paise per child, the world will simply laugh at us. And yet, these facts are mentioned in our reports.

My second suggestion would be that besides mid-day meals, we must give these children clothing also, because they are naked. I have seen in my own constituency that they have not even got a shirt to wear. So, how could they go to schools? It is impossible. So, we shall have to give them clothing also. Then, we must give them books, stationery, slates etc. Then only it can be called free education. Free education does not mean only that we do not charge fees. That is not free education with regard to these poor people. But has the Government done this during the last 23 years? Nothing has been done in that regard.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : लेकिन रेडियो तो रोज बोलता है ।

SHRI DINKAR DESAI : The radio can say anything it likes. But is there any reality behind it?

Then, there is the question of ashram schools. That is a good scheme. But how many ashram schools are there all over India in the trible areas? Without these ashram schools, in the isolated areas which are in the forest, it is impossible to bring these children to schools. Sir, my district is a forest district, and 82 per cent of the total area of it consists of forests. There are villages with just three or four houses in each. Surely, we cannol have a schools there for four children or three children. Instead of that, we could collect these children in a central village in ashram school and feed them there and give them education. The conception of an ashram school is a very good conception, but unfortunately, these ashram schools have not been started on a large-scale. There are very few ashram schools in the whole country. I would suggest that as far as the tribal areas are concerned, there must be ashram schools all over.

There are also very many isolated and small villages where the Harijans live. For the benefit of the children in those villages, we must have residential schools. That means that we must have these children live in the hostels, feed them properly and educate them properly. Unless we have the system of ashram schools and residential schools, their, condition cannot improve. I am not confining myself at this stage only to Scheduled Castes and Scheduled Tribes but to other people who are also as poor as these people. When mid-day snacks are given in any particular school to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes children, we must include those children also who are suffering from hunger, irrespective of their caste.

The attitude of our Governments is so callous, the Central Government being included in this list. There are Central schools started by the Central Government with the idea that they should be model schools for State Governments and voluntary agencies to copy. According to the latest report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There were 188 Central schools. What is the treatment given to Harijan children in these schools? They have been completely neglected. The commissioner says in his latest report :

> "About 118 Central schools functioning through the Central Schools Organisation, Ministry of Education, are imparting education up to the higher Secondary level. In the recent past, complaints were received that in many of these schools, the cases of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students were not considered sympathetically. From the data collected about the enrolment position, it appears that the position was disappointing and the number of students belonging to these categories was almost negligible in the secondary stage of education. It is felt that until and unless specific reservation is prescribed for students of these categories, the position will not improve in the immediate future."

This is another condemnation of the Government of India. I am very sorry that the Education Minister is not present during this debate, but I hope that the hon. Minister present here will convey this re-

mark to the Education Minister. It is a very serious matter, This clearly shows this : take the Central Government, take any State Government, take the government of any political party today, these people are completely neglected.

15 hrs.

SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI (Karol Bagh) : Except the Jana Sangh Government in Delhi.

SHRI DINKAR DESAI : I do not know about Delhi, not being acquainted with conditions here.

But I have made a study of these reports and this is my impression—I am sure many any of my colleagues will share this impression

Then take girls, education. Government claim to take special interest in it, because it is more important, because when the girl is educated and when she becomes a mother, she would like her children to be educated. So the furture mother should be first educated. By reason of this special interest, the Government of India give grants to State Governments. Grants are given for the construction of hostels. What is the fact of these hostels ? There is a paragraph in the latest report of the Commissioner. I would read it.

> "Though the Government of India have been sanctioning grants for this scheme from year to year, it is observed that necessary details regrading the number of hostels constructed and expenditure incurred thereon have not been made available by the States......

this is a matter of scheme—

> "It is also not known whether these institutions are functioning satisfactorily"—

that is, the girls' hostels—

> "and whether the extent of benefit derived by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students is adequate".

This is another condemnation of the State Governments and the Government of India. It is the duty of the latter to force the former to informe them as to how the money was spent, whether the hostels were constructed and how they are functioning. But the Government of India keep quite for various reasons, including political. If a State Government does not make a report, the Central Government should not give grant for the next year. But the Central Government do give grant next year and only inform the Commissioner that they do not receive any information whether the money was spent at all or not. This is a fraud on the funds of the Government of India by the State Governments. Such a fraud should not be tolerated.

I have made certain suggestions for the improvement of the education of these children, and for the spread of education also. In the first place, you must bring every child to school and than go on improving education. It is easy for me to make a speech like this here ; it does not cost any money. It is easy also for Government to appoint committees. It costs little money. Except in the sense that Parliament costs money, my making a speech here does not cost any money except the charges for printing it in the debates tomorrow. But in order to put into practice the various suggestions I have made, the Government must come forward for spending adequate amount of money. Finance is the most important. Today educational problems are not properly solved in this country mainly because the Government of India practically spend nothing on education. This I had occasion to show when I spoke two years ago on the Demands for Grants of the of Education Ministry. In our education budget, you will find a provision of about Rs. 100 crores out of a total budget of more than Rs. 3,500 crores. But of these Rs. 10 crores, only about Rs. 25 crores is spent on education proper ; the other portion is spent on museums, the archeological department, map-making etc. I do not say they are unimportant, but it is not education proper. So the Government of India practically do not spend anything on education, including primary education, inspite of the fact that there is mention in the Directive Principles of our Constitution that it is the duty of the Government to make every child educated within ten or 15 years, I forget...

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : They have also forgotten.

SHRI DINKAR DESAI : ......after the Constitution came into operation. Eighteen years are over, what is the result ? The result is that today—I have calculated—25 per cent of the total number of students, not

of Harijans but of all castes, of school-going age are loitering in the streets in ignorance. And if any body is to be blamed most for this, it is the Central Government because the Central Government does not spend any money on education. It is batter they abolish the Education Ministry instead of deceiving the nation like this. This is the crux of the whole problem. The Government of India must spent money.

I know why this is happening. It is due to the policy that we inherited from the old British Government. The old British Governmenti which was not a national Government, was not interested in our education, that is why they gave that responsibility to the State Governments which did not have sufficient money with them. We are following the same policy of the British Government, as if our Central Government is a foreign Government, not interested in the education of our children.

Today the States do not have sufficient money for educating every child. Kerala spends about 40 per cent of its total revenue on education, Tamil Nadu spends about 35 per cent and Mysore about 22 per cent, but it is not enough. So, if you leave this matter only to the States, the problem of problem in this country—I am particularly referring to the primary educaiion—will never be solved. So, I would like to make a request to the Central Government that they must give at least 50 per cent of the total cost to the State Governments for primary education of all the children. The only the Scheduled Castes and Scheduled Tribes children will be in a position to get education. If you leave this matter to the States alone, it will not be possible.

Then, I would like to say something about the land problem. Today we are blaming those persons and parties who have supported the land grab movement, but how long will the poor people wait ? They have waited for nearly a quarter of a century. Land was promised to these poor people, but was it given ? No. When land is not given to the landless, certainly there are bound to be movements of this type. I would like particularly the Prime Minister to make a note of this.

Whenever land is given, you will find in the reports that so many acres have been given in a particular State to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but what kind of land ? It is all waste land, unproductive land. Land which cannot produce any thing is given to these poor people. Sometimes I have seen that land is given to these people near the burning ghat in the village or town, which is useless land which is not at all fertile. So, I would suggest that fertile land should be given to them. There are big-estates, they must be fragmented and given to these people.

I come from coastal Mysore area, and I have seen with my own eyes in my district that there are rich cocoanut gardens, and under those cocoanut trees there have been huts of Harijans for centuries, but the land does not belong to them. The cococanut gardens do not belong to these people, they belong to the landlord who sometimes stays in that village, and is sometimes an absentee landlord. My suggestion would be that all this land should be acquired by Government and distributed to the people who have been living there for conturies.

This is a pathetic tale. What is the use of giving waste land to these people? And Government takes pride in it. Thousands of acres of wasteland are given to these poor people. It is a matter of shame that uneconomic land had been given to these persons. They must give them fertile land. There are big estates. Why do they not acquire those lands and give to these poor people that is the way to solve land problem.

Then there is the question of house sites. The poor people have not even got house sites, leave alone houses. I have seen with my own eyes in coastal Mysore that the Harijans are living in the lands of the landlord as serfs. They must always be at the beck and call of the landlord because they live in huts which are in the gardens of the landlords. They are not houses; they are really small huts. If they do not do what the landlord say their huts my be destroyed by him. The land belongs to the landlords and these huts had been constructed by the poor Harijans. In this big report on untouchability, about 400 or 500 pages, a buiky report, there is reference to their economic conditions. The report says

[Shri Dinkar Desai]

that only 6 per cent of the people got house sites all these years at this rate, it will take a century or more to give house sites to all the Harijans. That means it will never happen; nobody knows what is going to happen after a century.

Many foreign countries will be surprised to learn that there is some kind of slavery in this country even today; I will call it serfdom. In the report it is called bonded labour. But it is not labour, it is s avery or serfdom. There is a whole chapter on it. This system has been going on for a long time and is still prevalent in more than ten States as mentioned in the report. What is bonded labour? Suppose a poor man has no money for the marriage of his son or daughter, particularly a son and he needs money to feed his relations, etc. he goes to a money lander or landlord and asks him to give Rs.100 or Rs.50. That ma nobliges him. Then the poor fellow is unable to repay it at any time and as long as it is not repaid, it is the custom that he must go and work in his fields. The system is called Kamoti in South Bihar, Jetha in Mysore, Hal in Gujarat and Hari Begari in some other places. That shows that the system was windly prevalent. It is a matter of shame for us that in free India we have not lakhs of person's who are slaves in this way. The Government of India and the state Governments should take stringent measures. They must see to it that this slavery system is abolished in this country.

15.20 hrs.

[SHRI SHRI CHAND GOYAL *in the Chair*]

Then I would like to refer to the recommendation made by the Dhebar Commission. There is no dearth of Commissions in this country. The Dhebar Commission was appointed some years ago for improving the condition of the tribal people but nothing has been done. The recommendations are in cold storage. This fact is mentioned in the report. The latest report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes mentions this fact. The Dhebar Commission made a very vlaueable recommendation. The tribal people are losing their land and they have lost their land, and in order to prevent the alienation of ,he land of the trible people, the Dhebar Commission made certain very good recommendations, and though the Commission was appoined some years ago, their recommendations are still in cold storage. This is again a matter of shame. I am not exaggerating.

I do not want to take all the time that is allotted to my party, because I would like Mr. Krishna to speak later on. Today he is not present. Tomorrow he will speak. That is why I do not want to take more time. (*Interruption*) Our party's time is still available. So, he will also speak on behalf or our party. I do not want to take the full time allotted to my party.

I would now like to summarise what I have said. The crux of the problem is that there is no real interest either in the Central Government or in the State Governments for improving the condition of these people. If the Government of India and the State Governments are really honest to solve the problem of these poor people,—I would say these unfortunate people—they must spend more money and also it is no use just appointing Commisions and Committees and making speeches and having debates. How many debates have we had over this ?

There is another instance to show how Government is treating this subject. All the reports for the last three years have been combined. The reports were not discussed for three years, and after a lot of agitation in this House, this debate has come about. This itself is a matter of shame. The Constitution has made a special provision that every year, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, must submit a report to the President through the Ministry concerned, but that report was not discussed in this House for the last three years. That is a reflection on the Ministry. They are not interested; they think this is unimportant, and now we are discussing all the three reports at one time. This is another instance to show how the Central Government is completely neglecting this problem.

I do not want to say anything more. I hope that the Government will take this problem more seriously and will spend adequate amounts of money not only from the Central exchequer but will also give a directive to State Governments as to what can be done. The Central Government can issue a circular to every State Government that if they spend more on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on education and other amenities, the Government of India will bear a certain proportion of that expenditure, and that will give an inducement to the State Governments to spend more amounts for this subject. This must be done.

I have nothing more to add. I thank you for giving me this much of time to speak on this problem.

श्री तुलाराम (अरारिया): सभापति महोदय, आदिवासियों, हरिजनों, खासकर जो मजदूर और थोड़े से किसान हैं उनके बारे में रिपोर्ट तो बनती है, जैसे महाभारत में बातें लिखी गई, रामायण में बातें लिखी गई, गीता और उपनिषद् में भी लिखी गई, लेकिन उन को कार्य के रूप में लाने की कोशिश नहीं होती। अगर ऐसा किया जाता तो यह बीमारी बहुत पहले ही खत्म हो जाती। वैसे जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वह बहुत ईमानदारी से घूम घूम कर तैयार की जाती है, उस में हमारी कमजोरियों और खामियों की बात कही जाती है, लेकिन मैं आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वाद-विवाद के सन्दर्भ में जो बातें मेम्बरों द्वारा कही जाती हैं क्या कभी उन पर अमल किया जाता है? सामाजिक आजादी हो या आर्थिक आजादी, भीख मांगने से आज तक न मिली है और न मिलेगी। बगैर संघर्ष किए हुए यह चीज मिलने वाली नहीं है।

मैं हूं मजूर मैं हूं किसान,
मैं मानवता का मरन रूप मरघट के
 मुर्दे के समान।
मैं हूं मजूर मैं हूं किसान
मैं भरी तिजोरी वाले सेठों का रंगीन ख्वाब
मैं वर्तमान, मैं भविष्य, मैं हूं युग,
 मैं हूं इन्कलाब
है कौन मुझे जो रोक सके,
 किस का साहस किस की मजाल
अब मैं हल कर लूंगा
 अपनी रोटी का ठुकराया सवाल
ओ पूंजी वाले होशियार,
 ओ महलों वाले सावधान
आजादी की बल बेदी पर
 हमने बार बार शीष दिये
भूखे नंगों की टोली को
 जब चाहा जिसने पीस दिया
स्वातंत्र्य युद्ध का सैनिक,
 मैं कंधे में कंधा जोड़ लड़ा
साम्राज्यवाद की छाती पर
 मैंने भी खींची थी कमान
मैं हूं मजूर, मैं हूं किसान।

क्या हम चाहते हैं? देश के नेताओं से हमारी मांग क्या है? 22 साल तक आपने योजनाएं बनाई, स्कीमें बनाई। पैसा बाहर से अमरीका, रूस, इंगलैंड आदि से आपको मिला है और भीतर से भी आपने पैसा इकट्ठा किया। 22 साल पहले भी आपने स्कीम बनाई थी और जमीन की सीमा बन्दी का आपने एलान किया था। आज भूमि हड़पो आन्दोलन चल रहा है। मेरी समझ से वह भूमि हड़पो आन्दोलन नहीं है बल्कि मुक्ति आन्दोलन है। पहली बात तो यह है कि दूसरों की जमीन पर जो किसान और हरिजन बसे हुए थे, उन गरीबों के लिए कहीं भी जगह नहीं हैं। वे गरीब बेहाल हैं। हरिजनों की वही हालत है जैसे 22 खिलाड़ियों के बीच में फुटबाल की होती है। जिस के पैर के नजदीक फुटबाल जाता है वही उसको ठोकर मार देता है। यही हालत हरिजनों की है।

जिस पर मेरा हल चल बैठा
 वह जमीन मेरी है, मेरी है

[श्री तुलाराम]

अरे यह चप्पा भर जमीन नहीं,
पूरी दुनिया मेरी है, मेरी है।
तुम पूछो रबी खरीफ को,
इस धानी धरती से पूछो
बोल पड़ेगी मेरी ताकत मेरी मेहनत
भरे जेठिया चौमासे में जिस को
बोया मैंने मर कर
खून पसीना एक बना कर
इन महलों की बारहदरी की नींव कहेगी
खड़ी न होती अगर न गिरता यहां पसीना
कुछ मेरी मेहनत का
ए खेम खाह लाल दूशाले मखमल मलमल
बोल रहे हैं हर झिल मिल से
मेरी सूझ बूझ की ताकत मेरी मेहनत
इन रुपये पैसों से पूछो
बोल पड़ेंगे मेरे ही सांचे में
ढल कर बने हुए नकद नारायण
इसलिए इन पर लागत है
तो मजदूर की ताकत मेहनत
तभी आज मेरा दावा है, सब मेरी है
इस दुनिया के इस्तेमाल की
चीजों की ढेरी
अरे यह चप्पा भर जमीन नहीं,
पूरी दुनिया मेरी है, मेरी है।

मैं समझता हूं कि सामाजिक आजादी और उसके साथ साथ आर्थिक आजादी हमें तभी मिल सकती है, जब हमें शिक्षित बना दिया जाए। एक एक बात को सुन कर आपको हंसी आएगी और तकलीफ भी होगी। मेम्बर भी कुछ अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और और जगह भी बढ़ रही हैं। लेकिन आप देखें कि हरिजन विद्यार्थियों के लिए जो स्कालरशिप की राशि है वह कब फिक्स की गई थी। कालेजों और स्कूलों में जो हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको जो मदद मिलती थी, उस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही स्केल उसका अभी भी है, 15, 20 या 35-40। पेंशनें भी बढ़ रही है। उसमें भी परिवर्तन हो चुका है। हरिजन छात्रों की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये।

आप लोगों की मनोभावना को देखें। बोलते तो कुछ हैं लेकिन भीतर कुछ और ही होता है। अगर मन साफ होता तो जरूर आप नजर दौड़ाते।

आप देखते तो आप को पता चल जाता कि संविधान में तो यह जरूर व्यवस्था कर दी गई है कि हरिजनों के वास्ते नौकरियां सुरक्षित रखी जाऐगी। लेकिन क्या आपने इसको देखने की कोशिश की हैं कि उनको उनका हक मिलता है या नहीं मिलता है? दूर मत जाइये, यहां ही आप देख लीजिये। जब यहां ही हम मनवा नहीं सकते हैं तो दूसरे लोगों से हम कैसे मनवा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार में जितने मंत्री हैं क्या उनकी संख्या निर्धारित करते समय हरिजनों को जो संरक्षण प्राप्त है, उसका ध्यान रखा गया है। क्या उसी अनुपात में हरिजन मंत्रिमंडल में लिये गए हैं? जब यहां ही हम नहीं कर पाते हैं तो बाहर हम क्या करेंगे?

22 साल हो गए हैं फिर भी यह कहा जाता है कि हम को सूटेबल इंजीनियर नहीं मिलते हैं, डाक्टर नहीं मिलते हैं। जहां देखो यही लिख दिया जाता है कि कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। यह बिल्कुल झूठ बात भी है। फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए भी लिख दिया जाता है कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला जबकि उसी काम को करने की वजह से आज भी हम अस्पृश्य हैं, हरिजन हैं। फाइलें ढोने के लिए आदमी नहीं मिल रहें हैं। हवाई जहाजों पर क्लीनर का काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। मुझे डा० लोहिया की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि भंगियों की तनख्वाह पांच सौ रुपया और एक हजार रुपया कर दो अगर सामाजिक क्रान्ति लाना चाहते हो, अगर भंगियों को भंगी बना कर रखना नहीं चाहते हो, हरिजनों को हरिजन बना कर नहीं रखना

चाहते हो। बात ठीक भी है। तब दूसरे लोग भी इन कामों को करने के लिए आगे आएंगे। तब समाज के अन्दर जो विषमता है जो नफरत है, घृणा है, वह दूर हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो अच्छी बात है, आप हमें पढ़ा लिखा तो दें। अगर आपने ऐसा किया तो सामाजिक क्रांन्ति सम्भव हो सकती है। जिस काम को करने की वजह से समाज उसके साथ घृणा करता है, अगर आप उससे वही काम कराते रहे तो कैसे छुआछूत को आप दूर कर सकते हैं? कैसे घृणा की भावना को आप निकाल सकते हैं? इस वैज्ञानिक युग में तब आप लाख प्रवचन और भाषण करें और कानून बनाएं, सामाजिक क्रान्ति और सामाजिक आजादी नहीं मिल सकती है। सामाजिक आजादी दिलाने के लिए आपको आमूल परिवर्तन करने होंगे, काम के तौर तरीकों में परिवर्तन लाना होगा।

एक तरफ संगठन की बात चल रही है, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई में भेदभाव न हो, सब मिल कर काम करें, यह बात चल रही है और दूसरी तरफ हरिजन स्थान आप बना रहे हैं। हरिजनों के लिए आप अलग से छात्रावास बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? सवर्ण-अवर्ण को हम एक जगह बिठाना चाहते हैं, छुआछूत को हम दूर करना चाहते हैं लेकिन जब आप योजना बनाते हैं तो गांवों में आप हरिजनों के लिए अलग बस्ती बनाते हैं। इसी तरह से शिक्षण संस्थाओं में भी आप हरिजन छात्रावास बना रहे हैं। इससे उनके अन्दर हीनता की भावना आती है। इस हीनता की भावना को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, उन में तब तक रूहानी ताकत नहीं आएगी तब तक सामाजिक क्रान्ति करने की लियाकत भी उसमें नहीं आएगी। इस वास्ते मैंने एक सुझाव दिया था। सुझाव यह था कि जो होस्टल बने हुए हैं उन में पचास परसेंट दूसरी जाति वाले लड़कों को भी रखा जाए और वे लड़के मेरिट वाले होने चाहिये। ऐसा किया गया तभी तो संस्कृति का आदान प्रदान होगा। आजकल होता यह है कि तमाम हरिजन लड़के ही वहां होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक धरातल ऊंचा नहीं होता है। अगर तमाम कूड़ा करकट एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए तो वह कूड़ा करकट ही रह जाएगा। इस वास्ते मिक्स्ड होस्टल होने चाहियें। हरिजन होस्टल्ज को आप जनरल होस्टल्ज के साथ अटैच करें। छुआछूत को मिटाने के लिए जो ऊंची जाति के विद्यार्थी हैं लेकिन जो गरीब हैं, उनको कुछ राहत दे कर आप हरिजन छात्रों के साथ रखें। सरकार ने अपने कई लाख कर्मचारियों को मन्थली पेमेंट करने की व्यवथा की हुई है। लेकिन हरिजन विद्यार्थियों को जो वजीफा मिलता है, वह कैसे दिया जाता है? एक तो उस की ठीक व्यवस्था नहीं है—उस को टीचर खा रहे हैं, ब्लाक आफिसर खा रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं। उचित तो यह है कि विद्यार्थी को वजीफा हर महीने मिले, ताकि उस की जरूरत पूरी हो सके और वह अच्छी तरह पढ़ सके, लेकिन उस को वह वजीफा छः महीने या एक साल के बाद दिया जाता है। परिणाम यह है कि जिस उद्देश्य से वह वजीफा दिया जाता है, उस की पूर्ति नहीं होती है। मेरा सुझाव है कि सरकार एक तो वजीफे में वृद्धि करे और दूसरे, उस की मन्थली पेमेंट करवाने की व्यवस्था करे।

देश की भूमि समस्या से हम सब परिचित हैं। और जो आन्दोलन चल रहा है, वह न भूमि हड़पो आन्दोलन है और न ही भूमि मुक्ति आन्दोलन है। जो भूमि के प्रति और समस्याओं के प्रति वफादार नहीं हैं, वे नेता लोग केवल वोट प्राप्त करने के लिए ऐसी जमीनों पर चढ़ाई कर रहे हैं, जो कि खेती लायक नहीं हैं। अगर ये लोग राजनैतिक चालबाजी न कर के

[श्री तुलाराम]
समस्याओं के प्रति वफ़ादार हों और सारी जनता के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर प्रयत्न करें और सरकार पर दबाव डालें, तो इन समस्याओं का समाधान होना लाजिमी है। ये लोग तो अपने कामों से इस समस्या को हल्का बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भूमि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाये। अगर नहीं किया जायेगा, तो चार छः महीने के बाद, बरसात खत्म होने के बाद, और भी खूनी क्रांति या आन्दोलन शुरू होने की सम्भवना है।

जब मैं आये-दिन हरिजनों पर अत्याचार और जुल्म की कहानियां पढ़ता हूं तो मुझे तक्लीफ़ या आश्चर्य नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि हरिजनों में ज़िंदगी आई है, इसी लिये वे लोग मारे जा जा रहे हैं। मेरे जैसा आदमी इन बातों से घबराता नहीं है। बल्कि मैं सोचता हूं कि हरिजनों में अब जिन्दगी आ रही है, मरने की लियाकत आ रही है। अगर वे मरना नहीं सीखेंगे, तो वे अच्छी तरह से जी नहीं सकते हैं। इस लिए हरिजनों पर जुल्म और ज्यादती होने से आप को और हम को घबराना नहीं है। जुल्म और ज्यादती तो स्वाभाविक है—वह पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं।

पाकिस्तान से जो रेफ़यूजी आते है, उन से मेरी कोई शिकायत नहीं हैं। मैं यह नहीं चाहता कि उनको बसाया न जाये, उनको जमीन न दी जाये और न के लिए सब इन्तजाम न किया जाये जरूर किया जाये। लेकिन क्या हरिजन और आदिवासी इस देश में रहते हुए भी रेफ़यूजियों से भी बदतर हालत में नहीं रह रहे हैं? क्या सरकार के पास इस बात का कोई जवाब है? रेफ़यूजी लोगों को सरकार जमीन और मकान देती है और सब प्रकार की सहूलियतें देती है। लेकिन हम तो आदिकाल से यहां बसे हुए हैं। समाज का काम करते करते हम हरिजन और अस्पृश्य बन गये हैं, लेकिन हम को एक बालिश्त भर भी जमीन नहीं मिल पाई है।

मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट केवल वाद-विवाद करने के लिए ही यहां नहीं आती है, बल्कि इस रिपोर्ट पर बहस इस लिए होती है कि इस पर अमल किया जाये। यह रिपोर्ट इसी लिए पेश की गई है कि पार्लियामेंट के सदस्य, नेता और मिनिस्टर इन समस्याओं के बारे में विचार करें और मिल-जुल कर इन के समाधान के लिए कारगर ढंग से काम करें।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि यह कोई हरिजनों और आदिवासियों की ही समस्या नहीं है—यह राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन आज तक इस समस्या के साथ जो बर्ताव किया गया गया है, वह एक राष्ट्रीय समस्या समझ कर नहीं, बल्कि केवल हरिजनों और आदिवासियों की समस्या समझ कर किया गया है। इस लिए इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हो सकी है। मैं चाहता हूं कि बदलती हुई दुनिया और राजनैतिक उथल-पुथल की रोशनी में सरकार और नेता कारगर ढंग से काम करें, ताकि पार्लियामेंट के फ्लोर पर फिर ये शिकवे और शिकायतें सुनने को न मिलें।

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी (करोलबाग): सभापति महोदय, कई दिनों से इन रिपोर्टों पर बहस हो रही है। मुझे इस पर आपत्ति है। इन रिपोर्टों पर बहस नहीं होनी चाहिए थी। जब किसी रिपोर्ट पर बहस होती है, तो उससे पहले की सब रिपोर्टों के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हाउस में रखी जाती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसलिए इन रिपोर्टों पर बहस नहीं होनी चाहिए थी।

इसके अतिरिक्त एलियापेरुमाल कमेटी की रिपोर्ट भी बहस के लिए रख दी गई है। ऐसा करके इस मंत्रालय ने जान-बूझ कर शरारत की है और इस रिपोर्ट को भी कमिश्नर की

रिपोर्टों के साथ नत्थी कर दिया है, ताकि इसमें जो कुछ कहा गया है, वह हाउस के सामने न आये और सदस्य उसके बारे में कुछ न कह सकें।

सरकार इस सारे मसले के बारे में हमेशा बदनीयती बरतती रही है। आज भी जब यह बहस हो रही है, तब भी सरकार की बदनीयती हमारे सामने है। तेरह घंटे तक बहस हो चुकी है और इस दौरान में माननीय सदस्यों ने कई पायंट्स सरकार के सम्मुख रखे हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि किसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए हाउस में उपस्थित नहीं हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि यह सरकार इस रिपोर्ट को कितना महत्व देती है। क्या इस तेरह घंटे की बहस में सरकार को ऐसा कोई भी पायंट नजर नहीं आया, जिसके बारे में वह स्पष्टीकरण करने की जरूरत समझे? असल में वह तो चाहती है कि सदस्य अपनी भड़ास निकाल लें, वह इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, लोगों को बेवकूफ बनाया जाये और हरिजनों तथा आदिवासियों की प्रगति में रुकावट डाली जाये।

इस हाउस में कई पायंट्स रेज किये गये हैं। एजूकेशन के सम्बन्ध में कहा गया है। स्टील प्लांट्स में हरिजनों की भर्ती के बारे में कहा गया है। और भी कई बातें कही गई हैं। लेकिन उन सब का जवाब देने के लिए श्री जगन्नाथ राव ही बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि वह एजूकेशन या स्टील प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे। जिस मिनिस्ट्री पर इस देश के दस करोड़ लोगों की उन्नति का दायित्व है, उसको प्लानिंग कमीशन ने बहुत नीचे, शायद बीसवें नम्बर की, प्रायर्टी दी हुई है। यह सरकार की गलती और बद-बयानती है। सरकार की नीति हमेशा यह रही है कि इन लोकों का किसी प्रकार का से कोई सुधार न किया जाये।

आखिर सरकार ने इस महत्वपूर्ण काम के लिए कौनसी मशीनरी बनाई है? एक तो सोशल वैलफेयर मिनिस्ट्री है। उसकी यह हालत है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर कहता है कि ऐसे आंकड़े दिये जायें कि सर्विसिज में रूल्ज एंड रैगुलेशन्ज को इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं. हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन है या नहीं और उनका क्वोटा पूरा किया गया है या नहीं, लेकिन यह मिनिस्ट्री वह जानकारी नहीं दे पाती है।

मैं इस संदर्भ में एलियापेरुमल कमेटी की रिपोर्ट से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं। यह कहते हैं कि यह कमेटी बनी, इसके लिए सेक्रेट्री उन्होंने नियुक्त किया, हमारे सुन्दरम साहब को, आजकल तो शायद हैं नहीं डिपार्टमेंट में और यह एक अनोखी मिसाल है कि कमेटी देश के अन्दर भ्रमण करने के लिए जाये और सेक्रेट्री एक साल तक कमेटी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वह लिखते हैं:

> "It is noteworthy that even though many Central Government Departments furnished us the information called for, there was no reply from the Social Welfare Department which is in charge of the welfare of Scheduled Castes."

तो जब ऐसी हालत है कि चोर ही रखवाला हो गया तो फिर क्या हालत होगी। इसी तरह से होम मिनिस्ट्री को सर्विसज का कार्य दिया है कि होम मिनिस्ट्री उनके संरक्षण का ख्याल करे लेकिन होम मिनिस्ट्री भी पूरी तरह से फेल हुई है। उसने भी इमानदारी नहीं बरती है। मैं होम मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े शेडयूल्ड कास्ट्स कमेटी की 18 वीं रिपोर्ट से प्रस्तुत करना चाहता हूं। सीनियारिटी के सम्बन्ध में बड़ा स्पष्ट अनएम्बीगुवस शब्द है कि अगर किसी शेड्यूल्ड कास्ट की तीन साल की सर्विस हो जाये तो उसे कन्फर्म कर दिया जाये और कन्फर्मेशन के बाद फ्राम

दि डेट आफ कन्फर्मेशन उसकी सीनियारिटी काउन्ट की जाये। लेकिन आपकी मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्टी या सेन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन, उसके अन्दर इसकी अवहेलना होती है और इरीगेशन और पावर में भी यही हालत है। उसके अन्दर उन्होंने एप्रूवल लिया होम मिनिस्ट्री से, वह ऐसा करते है कि कन्फर्म्ड शेडयूल्ड कास्ट्स जो है उसको टेम्पोरेरी आफिशिएटिंग अदर कम्युनिटी का जो एम्पलाई है उससे जूनियर कर देते हैं, सीनियारिटी कन्फर्मेशन से नहीं देते हैं और जनाब कहते हैं...

"The Ministry of Defence claimed to have secured the approval of the Ministry of Home Affairs to the procedure followed by them."

इसके आलावा डी रिजर्वेशन है नौकरियों का उसका भी यही मामला है। एक केस का इसी रिपोर्ट के अन्दर उल्लेख किया गया है कि एक मिनिस्ट्री ने एक रिजर्व्ड वेकेन्सी...पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया और 7 साल होम मिनिस्ट्री से डी रिजर्वेशन के लिए एप्रूवल नहीं लिया। 7 साल के बाद जब वह होम मिनिस्ट्री को लिखते हैं तो वह कहते हैं दोबारा एडवटाइजमेंट किया जाये। जब शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने इस मामले को टेकअप किया तो होम मिनिस्ट्री कहती है कि मामला लम्बा हो गया है एक आदमी सात साल से काम कर रहा है, अब अगर शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी रखा गया तो उसको हटाना पड़ेगा इस लिए कम्पैशनेट ग्राउन्ड पर उनको रहने दिया जाये।

इसी प्रकार 1955 में होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर निकाला कि जहां भी सर्विस मैटर्स में जो होम मिनिस्ट्री के रूल्स हैं और सर्कुलर्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स के सम्बन्ध में, अगर उनकी अवहेलना हुई तो हेड आफ दि डिपार्टमेंट को पर्सनली रेस्पांसिबिल ठहराया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1955 का जो रूल था उसके तहत आज तक आपने कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही की है और अगर नहीं की है तो क्या आप यह समझते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को इमानदारी से निभाया है, उन्होंने किसी रूल की अवहेलना नहीं की है? और अगर की है तो आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ आजतक कोई कार्य नहीं की है?

एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब भी रेक्रूटमेंट होता है तो इस बिना पर कि कोई सूटेबिल शेड्यूल्ड कास्ट कैंडीडेट एवेलेबिल नहीं है, उस पोस्ट को दूसरे आदमी से भर दिया जाता है। लेकिन होम स्ट्रीं की जो बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शन्स हैं आज तक उनका किसी का पालन नही होता। मैं इसी रिपोर्ट के पेज 38 से आपके सामने उद्धत करना चाहता हूं। प्रिसाइज के लिए स्पेसि-

"In regard to de-reservation of posts, according to the instruction contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum......dated 13th March 1968, the appointing authorities while making a referenc: for de-reservation of reserved post to the Ministry of Home Affairs, have to give full details in support of the proposals for de-reservation such as the number of reserved vacancies, the qualifications, experience, etc., prescribed for the post, the number of Scheduled Caste/Tribe applicants, the number invited for interview/test, where this was necessary, the efforts made to get suitable candidates from Scheduled Castes/Tribes, the precise reasons for non-selection of Scheduled Caste/Tribe candidates etc. Experience shows that such a reference does not contain all these details especially the precise reasons for non-selection of Scheduled Caste/Tribe candidates. About the reasons for retection of candidates all that the appointing authorties

(श्री रा० स्व० विद्यार्थी)

> aver is that they were not found suitable."

प्रिसाइज रोजन के लिए स्पेरोज फिकली इसके अन्दर कहा गया है लेकिन न आजतक...कभी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री ने और न होम मिनिस्ट्री ने इस बात परवाह की है कि उनसे पूछा जाये। इससे जाहिर होता है कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार वास्तव में हरिजनों का उद्धार नहीं चाहती। वह वोट की राजनीति से प्रभावित है। वह समझती है कि अगर ऊपर उठ गया, वह इनकी जो एक्स्प्लायटेशन की पालिसी है उसको समझ गया तो इस सरकार को गिरा देगा और यह सरकार आगे नहीं चल पायेगी।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। यहां इस बहस में उस साइड के लोगों ने बड़े जोर से सरकार की आलोचना की। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या वे स्वयं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि आजतक हरिजनों के उद्धार के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर वह इमानदारी से महसूस करते है कि हरिजनों का उद्धार होना चाहिए और यदि वे इमानदारी से समझते हैं कि हरिजनों के उत्थान के लिए सरकार ने जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया तो मैं उन से कहूंगा कि वह बजाय उधर बैठने के इधर बैठना शुरू कर दें ताकि यह सरकार गिरे। लेकिन इसके लिए वे तैयार नहीं होंगे।

सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के अलावा इनके आरक्षण की देख-भाल के लिए शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर को नियुक्त किया। कांस्टीट्यूशन का प्राविजन है। अगर सरकार में जरा सी भी इमानदारी होती तो शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर का स्टैटस भी एलेक्शन कमिश्नर जैसा होता या आडिटर जनरल जैसा होता। लेकिन उन्होंने बदनीयती बरती और उसका स्टैटस जान बूझ कर लोअर रखा और आज की स्थिति ऐसी है कि किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट को कमिश्नर बना दिया जाता है। में कहना चाहता हूं कि अगर अगर उस व्यक्ति को कभी प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन के लिए जाना हो तो वह दो दफा काफी का कप पियेगा, कमरे के अन्दर झांकेगा और किसी तरह अगर पहुच भी गया तो हाथ जोड़ कर बैठा रहेगा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर से कोई बात करे। तो जब इस तरह की व्यवस्था होती है तो किस मुंह से कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स का उद्धार होगा? तो मैं चाहता हूं अगर जरा सी भी इमानदारी इनके अन्दर है तो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को पहले तो ठीक करें फिर शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर का स्टैटस रेज करें। पहले वो कमिश्नर आये, उनके अन्दर कुछ इन्डेपेन्डेन्स थे, वे इमानदारी से अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। लेकिन उसके बाद हमेशा यही प्रयास होता रहा कि कमिश्नर का स्टैटस नीचे आता जाये। इसलिए अगर वह चाहते हैं कि इमानदारी से कमिश्नर अपनी ओपीनियन प्रेसीडेन्ट को और इस हाउस को दे सके तो कम से कम उसका स्टैटस कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बराबर का हो। अगर कमिश्नर का स्टैटस कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बराबर होता तो बहुत से साथी उनके अन्दर लग सकते थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को भी कमिश्नर न बनाया जाये। हमेशा पब्लिक के अन्दर से आदमी लिया जाये और उसका स्टैटस कम से कम कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बराबर हो ताकि वह अपनी ओपीनियन निर्भीक रूप से दे सके और अपनी रिकमेंडेशन जो करनी चाहिए वह कर सके। अब कमिश्नर की क्या हालत है, इस का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। डी० जी० पी० एण्ड टी० में एक व्यक्ति की सर्विसिज को टर्मिनेट कर दिया गया। कमिश्नर ने लिखा कि उस की सर्विसिज को क्यों टर्मिनेट किया गया है, उस का रिकार्ड भेजें। उन्होंने साफ इन्कार कर दिया, आप इस से

[श्री रामस्वरूप विद्यार्थी]

अन्दाजा लगा लीजिये कि कितने निम्न स्तर का कमिश्नर को समझा जाता है। उन को डी० जी०, पी० एण्ड टी० लिखते हैं—

> "While stating in the reply that it is not possible to give reasons for the termination of service of the employee concerned, the DG, P and T has suggested that the Member (Administration), P and T Board will be glad to discuss this case with the Commissioner personally, if he makes it convenient to call on him."

यानी कमिश्नर उन के पास आये। जब इतना लोअर स्टेटस हम ने कमिश्नर का कर दिया है, तो फिर उन से इन्साफ की क्या उम्मीद हो सकती है, किस तरह से उस से दूसरा आदमी प्रभावित हो सकता है? इस लिये मेरी प्रार्थना है कि उस के स्टेटस को ज्यादा बढ़ाइये।

सर्विसिज के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी होम मिनिस्ट्री का उदाहरण दिया—वहां पर ईमानदारी नहीं बरती जाती, अगर वे एक प्रतिशत भी ईमानदारी बरतना चाहते हैं तो ज्यादा न सही स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने जो कुछ कहा था, उसे ही स्वीकार कर लें। सभापति महोदय, 1964 में प्लानिंग कमीशन के तेहत एक सेमिनार हुआ था और उस सेमिनार ने कुछ रिकमेन्डेशन्ज की थीं, उस सेमिनार की एक रिकमेन्डेशन मैं आप के सामने उद्धृत करना चाहता हूँ—उस रिकमेन्डेशन में कहा गया था—

> "A Central executive authority fully qulified with power to nominate candidates against reserved vacancies should be established. In addition to services, this authority should be in general charge of proper implementation of the entire programme."

सभापति महोदय, जब हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ था और जब हमारे पुरुषार्थी भाई पाकिस्तान से यहां आये, तो उन के रोज़गार की समस्या पैदा हुई, उस समस्या को हल करने के लिये इसी सरकार ने एक ट्रांस्फर-ब्यूरो का निर्माण किया। ट्रांस्फर ब्यूरों में हर वह व्यक्ति जो नौकरी चाहता था, उस का नाम रजिस्टर किया गया और उस ब्यूरो को यह अधिकार था कि जिस क्वालीफिकेशन का आदमी है और जहां उस की जरूरत है, वहां नौ मिनट कर के उस को भेज दिया जाता था। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से यह चाहते हैं कि सर्विसिज के अन्दर इन लोगों को पूरा रिप्रेजेन्टेशन मिले तो कम से कम ट्रांस्फर ब्यूरो जैसी कोई संस्था बनायें और इस सेमिनार ने इसे रिकमेण्ड भी किया था। स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस के सम्बन्ध में तमाम राज्यों के चीफ़ मिनिस्टर्ज को लिखा भी था, क्योंकि उस समय एक आपत्ति उठाई गई थी कि इन रिकमेन्डेशन्ज को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जायगा। डा० वी० के० आर० वी० राव उस समय इस के चेयरमैन थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनको रद्दी की टोकरी में नहीं पड़ने देंगे, बल्कि मैं प्रयास करूंगा कि ये रिकमेन्डेशन्ज़ इम्प्लीमेन्ट हों और इसी वजह से उन्होंने प्रधान मंत्री जी से उस समय तमाम चीफ़ मिनिस्टर्ज को पत्र लिखवाया था। पंडित जी ने उस रिपोर्ट को भेजते हुए लिखा था—

> "to take personal interest in seeing that complete action followes on these recommendation."

सभापति महोदय, यह 1970 है, मैं जानना चाहता हूं कि 1964 से अब तक क्या किया गया? मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि समस्या ऐसी है, जिस का समाधान नहीं हो सकता, समाधान हो सकता है। हरिजन उत्थान हो सकता है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, बदनीयती है। अभी दिल्ली में ता० 14 को, आप ने पढ़ा होगा, हरिजनों को 1 लाख बीघा

भूमि बांटने का काम शुरू हुआ है। सन 1952 से हम यह नारा सुनते आ रहे थे, क्या आज दिल्ली में भूमि बढ़ गई है या उस को बढ़ा दिया गया है, लेकिन उन की नीयत नहीं थी, जनसंघ प्रशासन ने इस काम को शुरू कर के दिखला दिया, जब कि पहले की सरकारें इस को नहीं कर पाई।

इसी प्रकार सर्विसिज का मामला है। जनसंघ प्रशासन जब से सत्ता में आया, उस से पहले क्लास 3 के अन्दर साढ़े तीन परसेन्ट से ज्यादा लोग शेडयूल्ड कास्ट के नौकरी में नहीं थे, लेकिन आज उन की परसेन्टेज बढ़ी है और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि पिछले दिनों उन्होंने क्लैरीकल ग्रेड का एक टेस्ट लिया, जिस में 100 में से 45 हरिजनों को भरती किया गया, जब कि इस सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया। कारपोरेशन में भी पिछले 2 साल से दूसरे लोगों के लिये नौकरियां बन्द हैं, बैन लगा हुआ है, लेकिन शेडयूल्ड कास्ट का कारपोरेशन में अभी भी रेक्रूटमेंट हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी बदनीयती को समाप्त करे, ईमानदारी से इस समस्या को हल करने की कोशिश करे और इन के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दे।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : हरिजनों की झोपड़ियां कितनी गिराई, कितने बाहर बैठे हुए हैं ?

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : सभापति महोदय चूंकि इन्होंने इन्टरप्ट किया है, इस लिये मैं बताना चाहता हूं कि झोपड़ियों का जो मामला है—जगन्नाथ राव जी यहां पर बैठे हुए हैं—मैंने इन से 16 अप्रैल, 1967 को एक सवाल पूछा था, ये उस वक्त डी० डी० ए० के इन्चार्ज थे—क्या यह सत्य नहीं है कि सर्वे करते हुए मास्टर प्लान में बहुत से ऐसे स्थान देखने में आए, जहां रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने कालोनीज बनाई थीं, लेकिन वहां कोई आबादी नहीं है ? इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। तब मैंने पूछा— क्या इस बात का ध्यान रखते हुए आप मास्टर प्लान को अमेण्ड करेंगे ? इन्होंने उत्तर में कहा कि वे इसके लिये तैयार नहीं हैं। अगर यह सरकार मास्टर प्लान में अमेण्डमेंट करे और ऐसी कोशिश करे कि जो लोग जहां आबाद हैं, वहीं पर ट्रिपल स्टोरी या मल्टी स्टोरीज की बिल्डिंग बनाकर आबाद किया जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। दिल्ली का जनसंघ प्रशासन इसके लिए तैयार है और इस सरकार को कह भी चुका है, लेकिन यह सरकार तैयार नहीं है।

जहां तक एजूकेशन का मामला है, दिल्ली में जितने भी प्रोफैशनल कालिजिज हैं, उनके अन्दर शेड्यूल्ड कास्ट की परसेन्टेज पूरी नहीं है। अभी हाल में ला-कालिज के कुछ लड़के पास आए थे, उसके अन्दर 30 सीटें खाली पड़ी हैं। पिछले साल जो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स एन्ट्रेन्स के लिए रखे गए थे, उनको बढ़ा दिया गया है। जो कोटा उनके लिए रिजर्व किया गया है, अगर किसी कारण से वह परसेंटेज पूरी नहीं होती है और वे दाखिला नहीं ले सकते हैं, तो इस बात में आपको क्या आपत्ति है कि आप एक मैरिट लिस्ट बनायें और उसमें से जो टाप के लड़के हैं, उनको दाखिल कर लें। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय इस बात का उल्लेख करें।

अन्त में एक बात कह कर समाप्त कर देना चाहता हूं। जैसा मैंने बताया था--आपकी सोशल वैलफेयर मिनिस्ट्री प्लानिंग कमीशन की लिस्ट में 20 वीं है, बिलकुल नीचे है—आप भी यहां शडयूल्ड कास्ट हैं। अगर यह मिनिस्ट्री किसी भी चीफ मिनिस्टर को कुछ लिखती है तो कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। वह जानते हैं कि सोशल वैलफेअर का मिनिस्टर है—कौन परवाह करेगा। अगर यह सरकार चाहती है कि ईमानदारी के साथ हरिजनों का उद्धार हो तो शडयूल्ड कास्ट कमिश्नर का महकमा और

[श्री रामस्वरूप विद्यार्थी]

हरिजन उद्धार के इस महकमे को कैबिनेट सैक्रेटेरियट के साथ मिला दिया जाए और प्रधान मंत्री सीधी इसकी इन्चार्ज हों। अगर प्रधान मंत्री किसी मामले को लेकर किसी चीफ मिनिस्टर को लिखेंगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा, आपकी दूसरी मिनिस्ट्रीज भी उस बात को मानेंगी, इस तरह से हरिजनों का काम हो सकता है। इसलिए अगर एक परसेन्ट भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसे प्रधान मंत्री के आधीन कर दें, ताकि हरिजनों का काम हो सके।

SHRI K. M. KOUSHIK (Chanda) : I fully agree with my hon. colleagues when they say that even after two decades of independence the condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not considerably improved, But while saying so, I have to submit that it is not really wise to treat the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes on par. In my opinion, the latter are far worse than the former and need greater attention, though I have every respect and sympathy for the Scheduled Castes who also need attention. I say this for the simple reason that in Scheduled Castes have a certain amount of awakening which the others completely lack.

To quote a small instance, a simple villager came to me. He had no place to stop; so he stopped with me. After returning from the court. When I switched on the radio and there was some music. He appeared eager to listen. I asked him whether he was interested in music. He said yes and came near the radio. Same time after the evening news started in Hindi, and it went on repeating the name of Nehru several times. There was no news of Ambedkar and his name was not mentioned. So, After the news was over, he put me this question :

अभी नेहरू जी, नेहरू जी नाम ही आया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं आया ?

16 hrs.

So, I say that the Scheduled Castes have a certain amount of awakening which is totally wanting in the Scheduled Tribes. Today we have lawyers High Court Judges, Members of the Union Public Service Commission and men in other high places from the Scheduled castes, whereas, I can confidently say that so far as the Scheduled Tribes are concerned, it is all a dream.

The Scheduled Castes are really clever people. They have been utilising all the services and the concessions given by the Government Compared to that, the Scheduled Tribes have not been able to utilise the opportunities and concessions which the Government have been giving them, even though they are very small. So, taking all these things into consideration I say that it is incorrect to put them on per, and I, therefore, submit that the Scheduled Tribes require greater attention then the Scheduled Castes,

In 1952, when Pandit Nehru made an opening speech in the Conference on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes he clearly said :

> "The first priority in tribal areas as well as elsewhere in the country must be given to roads and communications. Without that nothing we may do will be effective."

In 1967-68, after the last elections, there was a Conference of the Social Welfare Ministers of all States presided over by Shri Asoka Mehta. Dr. Gadgil, as a Member of the Planning Commission was also there. I was one of the invitees from the Scheduled Tribes areas to that Conferece. My Constituency is full of Adivasis. These Adivasis live in far off interior parts of the jungles and on the hill slopes. I gave a clear picture that it is most risky even to reach those places, because I had just finished my election tour and, therefore, I know how difficult it was to reach those places. Even a man heavily insured will have to think twice before going to those places in vehicles, and he would not be sure of returning safely. Not only that, even for ten villages you do not have a single well for drinking water. The scoop out the water on the river beds and that is their drinking water. These are the conditions obtaining even today in the trible areas. When I described this, Mr. Ashoka Mehta

asked me to see him in the evening. Accordingly when I saw him, and he said he would give Rs. 25 lakhs straightaway, another Rs. 25 lakhs in three months and another Rs. 50 lakhs within the year. He actually sanetioned Rs. 1 crore so that this backward area of the trible people could be developed, but unfortunately I learn that after some time it was withdrawn by the Government. What should we say of this Government ? Should we not say that the Government are not interested in the tribals ? Probably they needed money for some other purpose. But there are a hundred and one ways of saving money. They do not want to save money at all. Why should there be replacement of furniture every year in the Minister's houses costing lakhs of rupees ? Even this year we have seen replacement of furniture, curtains and other things in each Minister's bungalow costing Rs. 17,000 or Rs. 18,000, to the public purse. About Rs. 40,000 was spent on the Prime Minister's bunglow. Why should Jawahar Jyoti be burnt ? It is a huge waste of public fund. Why not all that amount be conserved ? If you go to the Rail Bhawan or any other Ministry, there secretaries, Joint Secretaries and Additional Secretaries in hundreds gossiping with each other. That is how the administration has come to be top heavy. There are hundreds of magazines which nobody would ever care to read. So much is wasted on the production of these magazines. Money, thus spent should be saved and conserved so that it could be spent for better purposes. I am fortunate the hon. Minister is here when I am speaking. I request him to consider the matter and tell me why the grant which was given, had been withdrawn and further request him to reallocate.

There are no lands for these tribals to cultivate; they are not factory workers. You will not find the Scheduled Tribe people in factories because of their natural shyness. They are far in the interior. I can say without fear of contradiction that more than 75 per cent of the people have not seen a train at all even today. Some of them would run away even now when they see a man with full clothes or when they see a jeep or car. If anyone doubts what I say, I am prepared to take and show him.

Then there is the question of employment. The latest report of the Commissioner for Schedulsd Castes and Tribes shows that not a single person was forthcoming to fill the 19 posts reserved for the Scheduled Tribes. As against 133 posts reserved for them in another category, only one is appointed. Even with regard to to class III jobs only nine could be found against 48 reserved posts. This will show the lack of education and the seriousness of of the matter. So the only thing that they fall back upon is agriculture but they have no land. Attempts must be made to see that land is given to them. Unfortunately our Government is too slow. They have taken no pains to see that landless people are given lands. The stage has, nowcome that land is being forcibly occupied in the "land grab movement." We as a party do do not subscribe to this unlawful and illegle method of grabbing land. All this is the result of Governments inaction and Collousness to the landless.

In Maharashtra they have nationalised the bidi leaves industry. Previously the contractors used to pay royalty and the Rajgonds and Mariagonds who live in the thick of the forest used ta pluck the leaves and take it to the contractor who used to pluck the leaves and take it to the contractor who used to pay them at the rates of Rs. 3.50 paise per unit. There is a Harijan Minister in the Maharashtrian Cabinet and after nationalisation he had to be persuaded even to pay Rs. 2.50 per unit, thus resulting in a loss of one rupee per unit to these poor people because of nationalisation. Is it fair in these days of soaring prices ? Why does the Ministery deplate their earning ? It is his contention than there will be less revenue to the Government if the normal wages are paid to the Tribls and others. Is it not a mere slogan that the Government are interested in the Scheduled Castes and Tribes. If the Tibbals are unable to got what they were getting from a private contractor— the normal wages are Rs. 3.50—and if the Government takes that over and gives Re. 1 less, I do not know what they have to say : I do not not know whether the Government are sympathetic or are not sympathetic ; it is a matter which you have to decide, but give the tribale a living wage.

With regard to education, I would like

[Shri K. M. Kaushik]

to say a word. They only speak Gondi and they do not know any other language in my area. Unless not recruit Gondi speaking teachers, you can not give education to them. Gondi language, they cannot understand. They cannot understand Marathi or Hindi ; they cannot understand any other language except Gondi. Therefore, unless you recruit persons knowing Hindi or Marathi along with Gondi, it is not possible to have any sort of education for these people Therefore, it is necessary that you should get persons who know this language, the medium through which the tribal people could be contacted in my area otherwise it will be difficult. They do not know Marathi or Hindi. Therefore, unless they know Condi, these teachers are absolutely useless.

There is another point which I wish to make. An effort is being made by certain interested politicians to remove the name of Rajgond from the reservation under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order of 1950. I would request my friends, who have been politically motivated to introduced such a thing, to come with me to visit those places, at my expense. I will take them to those places, because they have not gone to those places at all. They do not go to those areas at all. They have not seen the people there. The people in those areas are still primitive, and the wear only loin-cloth, and even their ladies leave the upper portion of their bodies open. They still have the tribal customs, and live far away in the interior jungles. Now, some people want to remove the name of the Rajgond from the reserved list of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order. There. my humble submission to the hon. Minister is this. I had met the late Mr. Govinda Menon on this connection. He said he would move an amendment and see that these Rajgonds are not removed from the list. I would, therefore, request the hon. Minister to have a correct appraisal of the tribal people after a visit to the area. These Rajgonds and Mariagonds are found in my district and in the Bastar district which are adjacent to each other Tribes The argument advanced for removal of reservation is that one or two persons from among these commnities are ex-zamindars and one or two others are ex-Rulers, so, the whole Rajgond caste is said to have become civilised and assimilated into civilisation. This a strange argument. I would request my friends to visit these areas, and if you are personally satisfied about their position, you can certainly remove them from the list. But having known them so well, I do feel that a great injustice would be perpetrated in respect of them if their reservation from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order is removed.

Lastly, there are so many regiments in the army. There is the Maratha Regiment, the Gorkha Regiment and so on. Why not have an Adivasi Regiment ? Give them scope and let the Adivasi people come in. I know at present, under suppression they are really mortally afraid of the police. The tribals are a courageous people ; they are not afraid of anything. I know of persons from among them who have put their hand into the mouth of the tiger and saved themselves. They are bold and are not afraid of death. Therefore, why not have an Adivasi Regiment ? If people from different areas come in, I think it will enable them to integrate themselves into civilised society. I am just giving this idea to the Government for what it is worth. I hope the Minister will give consideration to it.

श्रीमती मिनीमाता अगम दास गुरु (जंजगीर) : सभापति महोदय, हरिजन आदिवासियों के नाम पर यहां जो बहस चल रही है उस पर आप ने मुझ को बोलने का मौका दिया इस के लिए आप को धन्यवाद ।

यहां पर बहुत भाषण चलते हैं अगर आयुक्त की लम्बी चौड़ी किताब पर विचार हो सके इस की सम्भावना कम दीखती है । उन में अच्छी बातें भी हैं लेकिन उन पर ठीक से अमल नहीं होता है । इस लिए उन की उन्नति नहीं होती है । हरिजनों और आदिवासियों की समस्या काफी विकट है फिर भी उन की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है इस से इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु जब तक छुआ छूत के बारे में खास कर कानून में संशोधन न किया जाय और उस का कड़ाई से पालन न किया जाये, साथ

ही जब तक समाज के लोग और उन लोगों से सहानुभूति तथा प्यार करने वाले लोग उन के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हरिजनों की उन्नति होने की सम्भावना नहीं है। देश में एक कौम को कमजोर बना कर रख देने से कभी भी काम नहीं चलेगा और देश की भी उन्नति नहीं हो सकेगी। अतः मैं शासन से अनुरोध करूंगी कि पहले छुआ छूत की प्रथा को हटाया जाय। उस को किस तरह से हटाया जाये इस का हल सरकार निकाले। गांवों में हमें देखने को मिलता है कि कितनी ही शासन हरिजनों और आदिवासियों को सुविधा दे, लेकिन सवर्णो को एक चिढ़ हो गई है और वह छुआ छूत को और भी बढावा दे रहे हैं। जो उन लोगों के साथ सहानुभूति रखने वाले हैं, जो पुराने लोग हैं, गांधीजी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, वह जरूर उन को मदद करना चाहते हैं लेकिन जो नये लोग पैदा हो रहे हैं, जिन की भावनायें विरोधाभास की ओर बढ़ रही हैं, उन लोगों ने छुआ छूत को बढ़ावा दिया है और हरिजनों का जीना मुश्किल हो रहा हैं।

आप आये दिन पेपर्स में पढ़ते होंगे कि हर एक प्रदेश में हरिजनों की हत्या होना तो एक मामूली बात हो गई है। जब कभी हरिजनों की हत्या होती है तब शासन को उस की कड़ाई से जांच करनी चाहिये और जहां हत्याएं ज्यादा होती है वहां राज्य का शासन उस को सम्भाल नहीं पा रहा है। इस लिये केन्द्रीय शासन वहां अपनी पुलिस रक्खें, अपने थाने कायम करे। इस तरह की व्यवस्था किये बिना हरिजनों की रक्षा होना सम्भव नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि जब तक छुआ छूत रहेगी तब हरिजनों का कल्याण होना सम्भव नहीं है। शासन थोड़ी सी सुविधा देता है पढ़ाई और खेती वगैरह में लेकिन उस से हरिजनों की तरक्की हो सकेगी ऐसी सम्भावना मुझ को नहीं दीख रही है।

आप छात्र वृत्तियों को ही देख लीजिए। जैसा मुझ से पूर्व वक्ता ने कहा, सभी लोगों की मासिक पेंशन तक में वृद्धि हो गई है परन्तु छात्र वृत्ति वही 6 रुपया मिल रही है। हाई स्कूलों के छात्रों को भी 15 रु० मिल रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि जब सभी क्षेत्रों में आज तरक्की हो रही है तब केवल हरिजनों की छात्र वृत्ति में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। इस के लिए जिम्मेदार सरकार है। जब तक छात्र-वृत्ति में वृद्धि नहीं होगी तब तक हरिजन और आदिवासी बच्चे पढ़ने में असमर्थ रहेंगे क्योंकि वह गांवों में रहते हैं और उन को कभी अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते, अच्छा खाना नहीं मिलता। जो छात्रवृत्ति 6 रु० मासिक की मिलती है अगर उस में किसी बच्चे को कोई अच्छी चीज खाने का कभी शोक लगे तो वह उस को भी पूरा नहीं कर सकता। इस लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगी कि उन की छात्र-वृत्ति में बढ़ोतरी की जाए।

विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उस में से भी आधी तो मास्टर ले लेते है। मेरे पास कई प्रार्थना पत्र आये हैं लड़कों के जिन में लिखा है कि उन को छात्रवृत्ति दी ही नहीं गई है। अगर दी भी गई है तो उस में से आधी मिली है क्योंकि मास्टर कहता है कि इतने प्रतिशत हम को दो तब हम तुम्हारी छात्रवृत्ति दिलवा सकते हैं। ऐसी हालत में हरिजन बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे, यह मैं समझ नहीं पा रही हूं। यदि इस छात्रवृत्ति का लालच शासन ने न दिया होता तो हो सकता है कि कुछ प्रतिशत लड़के अपनी हिम्मत से पढ़ने की कोशिश करते। किन्तु आज छात्र सोचते हैं कि छात्र-वृत्ति हमें मिलेगी तव हम अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहीं पर छात्रवृत्ति का आधे से ज्यादा भाग कर्मचारी और शिक्षक ले लेते है। आधा कहीं जा कर विद्यार्थी बच्चों को

[श्रीमती मिनी माता अगम दास गुरु]

मिलता है। आप दुनिया भर की कमेटियां बना बैठे हैं। आयुक्त के दफ्तर में जा कर आप देखें कि वहां क्या काम होता है। ये लोग प्रदेश प्रदेश में घूम कर, जगह जगह जा कर रिपोर्ट देते हैं लेकिन उन रिपोर्टों में जो सिफारिशें की गई होती हैं, जो सुझाव दिये गए होते हैं, उनको किस हद तक लागू किया जाता है. यह सोचने की बात है। वह बहुत बड़ा दफ्तर है, बहुत से कर्मचारी वहां काम करते हैं, बहुत जगह जा कर वे इनवैस्टीगेशंज करते हैं और उसके आधार पर वे सिफारिशें करते हैं, रिपोर्ट देते हैं परन्तु शासन किस तरह से उनको लागू करता है, किस तरह से उन पर अमल करता है, इसको मैं आज तक भी समझ नहीं पाई हूं। उन पर अमल बहुत ही कम होता है। मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि जो सिफारिशें की जाएं उन पर अमल करने की भी कोशिश होनी चाहिए। आप हरिजनों और आदिवासियों पर जो खर्च करते हैं, मैं मानती हूं कि आप उसको बढ़ाते गए हैं। तमाम पचवर्षीय योजनाओं में हरिजनों पर खर्च होने वाली राशि में आप थोड़ी बढ़ोतरी करते रहे हैं और उनके लिए सुविधाओं में वृद्धि करते गए हैं। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी आज 23 बरस में हरिजनों तथा आदिवासियों की दशा वही की वही है। इस कारण से शासन बदनाम होता जा रहा है। जिस तरह से क्रिस्चियन मिशनरीज काम करते हैं, जिस तरह से उन्होने मिशन की स्थापना कर रखी है, उसी तरह का मिशन आप भी अगर बना कर काम करें तो इनकी दशा बहुत जल्दी सुधर जाएगी। जिस भावना से वे काम करते हैं, उसी भावना से आपको भी काम करना चाहिये। कमेटियां बना कर और रिपोर्टें प्राप्त करके कुछ नहीं आज तक हुआ है और न ही आगे होगा। सब धरी की धरी रह जाती है। रिपोर्टों पर जब बहस होती है तब वे भी जो स्वयं हरिजन होते हैं और वे भी जो उनके साथ सहानुभूति रखते हैं बोल लेते हैं और कह देते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों को ये सुविधायें दी जाएं। कह देने मात्र से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो दिखावे के लिए इस तरह की बातें करते है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है मौसी रोय गर पोटार। बेटी जब विदा होती है तो मां बिदाई के समय रोती है लेकिन जो मौसी होती है वह जबर्दस्ती आंखों पर थूक लगा कर रोती है। उसको उतना प्रेम तो होता नहीं है लेकिन दिखावे के लिए वह इस तरह से आंखों पर थूक लगा कर रोती है। उसी तरह से हाउस में तो हरिजनों और आदिवासियों के लिए कुछ लोग हैं जो बोल देंगे और कह भी देंगे कि छुआछूत एक कलंक है और इसको मिटाया जाना चाहिये लेकिन इसको मिटाने के लिए वे कितना सहयोग देते हैं, कितना काम करते हैं यह देखने वाली बात है। उनको अपने दिल से पूछना चाहिए कि वे छुआछूत को मिटाने के कितनी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

समय बहुत गुजर गया है। अब हरिजनों और आदिवासियों में शक्ति नहीं रह गई है कि वे और अधिक बरदाश्त कर सकें। उन लोगों में कई प्रकार की शिथिलताएं आ गई हैं, कमजोरियां आ गई हैं। जो भी उनको बरगलाता है, उसके साथ वे हो जाते हैं, उसी का साथ देना शुरू कर देते हैं। वे थक गए हैं। उनकी तरक्की नहीं हुई है। देहातों में जाकर देखें तो आपको आज भी वही भूख और वही नंगापन दिखाई देगा। वहां क्रिस्चियन मिशनरीज अपने ध्येय में सफल हो रहे हैं। अगर वे अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं तो क्या कारण है कि शासन सफल नहीं हो सकता है। मिशन समझ कर इस काम को किया जाना चाहिये। हरिजनों ही पढ़ाई, लिखाई, उनके वास्ते खेती की जमीन आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्रिस्चियन मिशनरीज की तरफ वे क्यों आकर्षित होते हैं? उनके पास कम से कम

इनको देने के लिए प्रेम तो होता है। यहां तो प्रेम के दो शब्द भी नहीं कहे जाते है। सवर्ण हिन्दू जो हैं वे हरिजनों को अपने से दूर रखते हैं। अगर कोई सवर्ण हिन्दू छू जाता है तो जा कर नहाता है। कोर्ट का चपड़ासी जो ब्राह्मण अगर हुआ तो अगर चमार या मोची से उसकी धोती छू जाती है तो घर जा कर नहाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी करता है और माथे पर त्रिपुंड उसके लगा होता है तो वह जो पेटी बांधे होता है, वह भी तो चमड़े की होती है और उसको बांधे बांधे ही वह पानी पी लेता है। उसका उसको कोई परहेज नहीं है। उससे उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। कमेटी वगैरह के चक्कर में आप न पड़ें। हमारे वास्ते आप एक मिशन की स्थापना करें जो हमारी सुविधाओं की ओर ध्यान दे और उसी तरह से वह काम करे जिस तरह से क्रिस्चियन मिशनरीज करते हैं।

मैं अपने क्षेत्र में गई हूं। चार साल से वहां पर अकाल की स्थिति है। वहां मुझे क्रिस्चियन मिशनरीज को देखने का मौका मिला है। चार जगह ये मिशनरीज काम कर रहे हैं। दस हजार हरिजनों, आदिवासियों और गरीब मजदूरों को इन्होंने काम पर लगा रखा है। वहां लोग ईसाई होने तक के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्यों आप धर्म परिवर्तन करते हो तो उन्होंने कहा कि हम भूखों मर रहे हैं, रोटी खाने को नहीं मिलती है, क्या करें। मैंने कहा कि आप मजदूरी तो कर ही रहे हैं और आपको पैसा भी मिल रहा है फिर धर्म परिवर्तन क्यों करते हो। उन्होंने कहा कि गिरजाघर जाएंगे तभी मजदूरी मिलेगी, वर्ना नहीं मिलेगी। तीन बार मैं गई हूं और उनको समझाया है। किन्तु वे कहते हैं कि जब तक हम को मजदूरी देते हैं तब तक हम जाएंगे गिरजाघर में और हमारा धर्म बचे या न बचे, इसकी हमें चिन्ता नहीं है। अगर हम भूखों मरेंगे तो धर्म हमें बचा नहीं सकेगा। हमें भूखों तो नहीं मरना है। अब हरिजन और अधिक बरदाश्त करने वाले नहीं हैं। जब तक आप हरिजनों और आदिवासियों के लिए मिशन बना कर उनकी तरक्की और उन्नति के काम नहीं करेंगे तब तक उनकी उन्नति और तरक्की होने वाली नहीं है। आप ने सुविधायें तो दे रखी हैं लेकिन जो अफसर लोग हैं वे इन से बहुत चिढ़े हुए हैं। वे कहते हैं कि ये सरकार के दामाद हैं। इनको कब तक समाज इस तरह से पालेगा ? मैं चाहती हूं कि आप इनकी तरफ समुचित ध्यान दें। मैं यह भी चाहूंगी कि राज्यों के चीफ मिनिस्टर्ज के पास आदिवासी और हरिजन विभाग होना चाहिये। यहां केन्द्र में भी यह विभाग प्रधान मंत्री के हाथ में होना चाहिये। मैं उदाहरण देती हूं। चार साल की रिपोर्टें एक साथ संसद में पेश हुई हैं और उन पर विचार हो रहा है। यह उपेक्षा वृत्ति अगर यह विभाग प्रधान मंत्री के पास आ जाएगी तो नहीं बरती जा सकेगी। साथ ही अमल भी इस पर कितना होगा, मैं नहीं जानती। वह भी मेरी समझ के बाहर की बात है।

छात्रावासों की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। हर एक जिले में हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए आज तक भी एक एक छात्रावास नहीं बन सका है। छात्रावासों में छुआछूत को दूर करने के लिए सभी जातियों के जो गरीब लड़के होते हैं, रखे जाने चाहिएं। हरिजनों और आदिवासियों को छोड़ कर और भी बहुत से गरीब बच्चे होते हैं जिन को वे पढ़ा नहीं सकते हैं। इस वास्ते हरिजनों के छात्रावासों में 25 प्रतिशत सवर्ण लोगों के बच्चे जो गरीब हों, रखे जाएं और सवर्णों के होस्टलों में पच्चीस प्रतिशत हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों को रखा जाए। इससे जो मनोमालिन्य है, वह मिटेगा और विद्यार्थी

[श्रीमती मिनीमाता अगम दास गुरू]

जीवन में वे एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इस तरह से छुआछूत को मिटाने में आपको सहायता मिलेगा। आज तक प्रत्येक जिले में हरिजनों के वास्ते एक एक छात्रावास की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इन छात्रावासों की कमी सर्वत्र अनुभव की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन ने तीस हरिजन छात्रावास खोलने की कोशिश की है। मैंने जोर लगा कर उन में से पांच लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने का आग्रह किया था जिस को मान लिया गया है। लेकिन जुलाई और अगस्त माह तक इन छात्रावासों में एक लड़की भी प्रवेश नहीं कर सकी है। कारण यह है कि ये बस्ती के बीच में हैं, वहां पानी की कोई सुविधा नहीं है और न ही लड़कियाँ वहां रह कर सुरक्षित अनुभव करती हैं। इस वास्ते कोई भी मां बाप अपनी बच्चियों को वहां भेजने के लिए तैयार नहीं है। मेरा अनुरोध है कि हर जिले में एक छात्रावास लड़कियों के लिए और एक छात्रावास लड़कों के लिए खोला जाना चाहिए। इन में कम में कम सौ सौ सीटों का होना आवश्यक है। कुछ निजी संस्थायें भी है जो छात्रावास चला रही है। इसको उन्होंने दुकानदारी बना रखा है, रोजी रोटी का सवाल भी उसके साथ जोड़ रखा है। निजी संस्थायें इनको ईमानदारी से नहीं चला सकती हैं। इस वास्ते हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक लड़कों और एक लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करनी चाहिये।

भूमि वितरण का आन्दोलन भी चल रहा है। उधर भूमि को हड़पने का आन्दोलन भी चलाया जा रहा है। बड़ा जलूस बना कर भूमि पर कब्जा करने की कोशिशें हो रही है। अगर इस तरह से किसी कि भूमि पर कब्जा भी इन्होंने कर लिया तो मैं समझ नही पा रही हूं कि किस तरह से उस कब्जे को बनाए रखा जा सकेगा। जमीन में जा कर हल चला दिया और जलूस वापिस चला गया तो बाद में कैसे उस भूमि पर कब्जा करके रखा जाएगा। घर गोसाइयाँ ला परोसी डरवावे। यह एक छत्तीसगढ़ी की कहावत है। भूमि हमारी है, हम आदिवासी और हरिजन जन्म से ही भूमि के मालिक रहे हैं। अब जिन की भूमि है वही आप से भूमि मांगें यह कितने शर्म की बात है। जिस भूमि को दस साल पहले दे दिया गया था वहां भी देखा गया है कि, सवर्णों ने, ठाकुरों, ब्राह्मणों ने उस भूमि पर इन लोगों को कब्जा करने नहीं दिया है। जहां कब्जा किया भी है, वहां से भी इनको निकाल बाहर किया गया है। अब इस भूमि हड़पो आन्दोलन से कैसे हरिजनों और आदिवासियों को भूमि प्राप्त हो जाएगी, यह मेरी समझ में बात नहीं आई है। ये जा कर वहां हल चलवा देंगे और वापिस चले जाएंगे। अब जो हरिजन या आदिवासी वहाँ बैठ जाएंगे उनको मार बाहर किया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। किस तरह से हरिजनों को आप भूमि दिलाएंगे? आज भी दो दो और तीन तीन हजार एकड़ भूमि जमींदारों के पास है। एस० वी० डी० के श्री गोविन्द नारायण सिंह, जो कि मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास दो हजार एकड़ भूमि है। वह उदारता से हरिजनों और आदिवासियों को जमीन दें न।...(व्यवधान)... इन लोगों का भूमि हड़पो आन्दोलन तो ठीक है, लेकिन उस से हरिजनों और आदिवासियों को जमीन कैसे मिल पायेगी? इन्होंने किसी जमीन पर हल चला दिया और चले गये, लेकिन जिस हरिजन या आदिवासी को वह जमीन देंगे, दूसरे दिन उस की हत्या हो जाएगी। जिस ठाकुर, ब्राह्मण या जमींदार की वह जमीन है, वह उस जमीन पर हरिजन या आदिवासी का कब्जा नही होने देगा। मैं तो भुक्त-भोगी हूं। हम ने पचास हरिजन आदिवासियों को जमीन दिलाई, लेकिन आज तक वे उस पर कब्जा नहीं कर सके हैं,

कलेक्टर द्वारा पट्टा देने पर भी कब्जा नहीं कर सके हैं। वहां पर पुलिस आई और चली गई। फिर उन लोगों को लाठी मार कर भगा दिया गया।...(व्यवधान)...यहां भूमि दिलाने की बात कहना एक बात है, लेकिन उन लोगों को कब्जा दिलाना दूसरी बात है। माननीय सदस्य उन को कब्जा दिलाएं। जिन हरिजनों और यादिवासियों को जमीन मिल गई है, उन को कब्जा दिलाएं। मैं इन की योजना से सहमत हूं। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो आदमी लूट कर खाता है। लेकिन मैं यह समझ नहीं सकी हूं कि माननीय सदस्य किस प्रकार हरिजन आदिवासियों को कब्जा दिलायेंगे।...(व्यवधान)... माननीय सदस्य हरिजन-आदिवासियों की हत्यायें करायें सरकार को इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए। अभी तक कई प्रदेशों में लैंड सीलिंग नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कानून बन गया है, लेकिन पेट में जो चार महीने का बच्चा है, उस के नाम जमीन दिखा दी जाती है। इस हालत में हरिजन आदिवासियों को जमीन कैसे मिलेगी? इस आन्दोलन से तो और हरिजन आदिवासी मरेंगे। मैं इस आन्दोलन के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हरिजन आदिवासियों को जमीन दिलाने में, उस पर उन का कब्जा दिलाने में, ये आन्दोलनकारी कैसे कामयाब होंगे, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। शासन को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि प्रत्येक परिवार इतनी जमीन रख सकता है। बाकी जमीन को कानूनन हरिजन-आदिवासियों को दे दिया जाये। तभी वह जमीन उन की हो सकेगी, वर्ना नहीं।

यह निश्चित जानिये कि इस आन्दोलन से और हरिजनों और आदिवासियों की हत्यायें होंगी। मैं शासन से अनुरोध करूंगी कि जिस प्रदेश या इलाके में हरिजनों और आदिवासियों की हत्यायें हो रही हैं, उस में केन्द्र की ही पुलिस बैठे और केन्द्र के ही थाने बनें। तभी हरिजन आदिवासियों का कल्याण होगा, वर्ना नहीं।

श्री शिवकुमार शास्त्री (अलीगढ़) : सभापति महोदय, संस्कृत साहित्य में हमने एक प्रसंग पढ़ा कि एक राजा ने अपने दरबार के कवियों को दरिद्रता का वर्णन करने के लिए एक समस्या दी। राजा स्वयं भी कवि था। उसने भी उस समस्या की पूर्ति की। जब सब कवियों ने अपनी रचनायें सामने रखीं और वे एक निर्णायक को दी गई कि गरीबी और दरिद्रता का सब से बढ़िया वर्णन किस ने किया है, तो जो राजा था, उसका वर्णन सर्वश्रेष्ठ माना गया।

यही स्थिति इस सदन में भी है। जब हरिजनों, गरीबों, और मजदूरों के उद्धार की बात कही जाती है, तब मैं यहां भी वही दृश्य देखता हूं। जिनका गरीबी से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो मजदूर के दुख और दर्द को नहीं जानते हैं, जिनके सिग्रेट की आग कभी नहीं बुझती है, जो कार के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, वे मजदूर के लिए आंसू बहाते हैं। यही बात हरिजनों के उद्धार के सम्बन्ध में भी है। जिन को परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वे कल्पना शक्ति के आधार पर, कल्पनाओं के परों पर उड़कर इन समस्याओं का वर्णन करते हैं और उसी प्रकार से उनका उद्धार करना चाहते हैं।

"चाल दुनियां की तुम्हें महसूस हो, दुश्वार है, यह जमी तेजो से चलती है, मगर हिलती नहीं।" समस्या का समाधान तो तब होगा, जब हम उसका ठीक प्रकार से विश्लेषण करें।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीच का जमाना इस प्रकार की अविद्या और जहालत का था। कि कुछ लोग समाज में ऐसे सिद्धांत

[श्री शिव कुमार शास्त्री]

व्यवहार में ले आए, जिनको समझ और बुद्धि से कोई ताल मेल नहीं है। ज़रा विचार कीजिये कि जो आदमी गन्दगी फैलाये, वह ऊँचा हो गया और जो गन्दगी को साफ करदे, वह नीच हो गया। धोबी इसलिए नीच है कि वह मैले कपड़े धो देता है और स्वर्ण कहलाने वाले इस लिए ऊँचे हैं कि वे कपड़े को मैला कर देते हैं। जो शौचालय, टट्टी, में जाकर गन्दगी डाल देता है, वह तो ऊँचा हो गया और मेहतर इस लिए नीच कहलाया कि उसने गन्दगी को साफ कर दिया।

जहां तक बुद्धि और धर्म शास्त्र की मर्यादा का सम्बन्ध है, उसमें अस्पृश्य और छूआछूत नाम मात्र भी नहीं हैं। और गन्दगी भी नहीं है। बीच के समय में न जाने कौन औंधी खोपड़ी के लोग आए, जिन्होंने इसकी रचना की। यह बड़ी बुद्धिसंगत बात है कि जो चीज मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से करता है, वही चीज उसी प्रकार से समाज में भी लागू होनी चाहिए।

हम मस्तिष्क से सोचने का काम करते हैं। हम हाथों से अपने शरीर के कष्ट का निवारण करते हैं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। पेट में जाकर खुराक रस और रक्त बनकर जिस्म के एक एक हिस्से में बट जाती है। हमारे नीचे का भाग जो पैर हैं, वे शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए जहाँ कहीं आना होता है, उसको लेकर चले जाते हैं। जिस तरह से मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए शरीर का बटवारा किया हुआ है, कुदरती और ईश्वरीय व्यवस्था के तौर पर वह स्थिति समाज में भी काम के बंटवारे की रहनी चाहिए। जो अविद्या और जहालत से लड़े, जो अन्धकार को दूर करने का काम करें, उनका समाज के शरीर में वह स्थान है, जो हमारे शरीर में मस्तिष्क का है। उसी प्रकार जो दुनियां में अन्याय और अत्याचार को मिटाने के लिए आगे बढ़ें, चाहे वे पुलिस में हों या फौज में, उनका समाज में स्थान है, जो हमारे शरीर में हाथों का है। उसी तरह अभाव और कमी को दूर करने के लिए, चाहे कारखानों के उत्पादन के द्वारा और चाहे कृषि के उत्पादन के द्वारा, जो जनता की आवश्यकता की पूर्ति करें, उनका समाज में वही स्थान है, जो हमारे शरीर में पेट का है। जो परिश्रम और मेहनत के द्वारा जहां कहीं भी समाज को ले जाने की सेवा करें, उनका समाज में वह स्थान है, जो हमारे शरीर में पैरों का है।

लेकिन इसमें ऊँच और नीच की कोई भावना नहीं है। अगर पैर में कांटा लगता है, तो आंखों में से आंसू निकलते हैं। देहात में हम ने पशु चराने वालों को देखा है, कि अगर पैर में कांटा लग गया, तो सुई या कांटे से उसको निकालने की कोशिश की और कांटा थोड़ा सा ऊपर ऊभर आया, तो दांत से कांटे को खींचा जाता है। वहां ऊँच और नीच का प्रश्न नहीं है।

ठीक इसी प्रकार की फीलिंग और अनुभूति सारे समाज में रहनी चाहिये। इसमें ऊँच और नीच का प्रश्न नहीं होना चाहिए। वह तो काम का विभाजन है, और वह व्यवस्थापूर्वक, बुद्धिपूर्वक और योग्यतापूर्वक किया गया है। उसी के आधार पर समाज चल सकता है।

हम प्रतिदिन यह देखते हैं कि जो काम मेहतर करता है, वही काम हममें से हरेक आदमी दिन में एक या दो बार, और अगर जुलाब लग जाए तो, तो इससे भी ज्यादा, करता है। हम गन्दगी को साफ करके हाथ को साफ कर लेते हैं। आजकल के बाबुओं के खाने की पद्धति को तो छोड़ दीजिए, लेकिन पुराने लोगों का तरीका यह है कि दायें हाथ से

हम खाना प्रारम्भ करते हैं और जिस बायें हाथ ने मेहतर का काम किया था, उस सेवा के बदले में उसको इतना आदर और इज्जत दी जाती है कि जो खाना शुद्ध रखा हुआ हैं, उसको बायां हाथ परोस परोस कर दूसरे को देता है। इसमें छुआछूत की बात नहीं है।

अगर बिच्छू को अछूत माना जाए, तो समझ में आता है। कोई उसको हाथ लगाकर देखे, तो पता चल जाए। सांप को अछूत माना तो ठीक है। लेकिन एक हमारी जैसी आकृति वाला मनुष्य अछूत समझ लिया जाय, इससे अधिक मनुष्यता का निरादर नहीं हो सकता। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विशद्ध रूप से वर्ण व्यवस्था में भी इन सब चीजों का समावेश था। लेकिन बीच के समय में अविद्या और जहालत के समय में इस प्रकार की चीजें बिगड़ कर दूर हो गई। तो इस समस्या का बहुत बढ़िया समाधान तो वही था कि जो स्वामी दयानन्द ने बताया था कि बीच के समय में जो ये बुरी बातें आ गई हैं उन्हें साफ कर दिया जाय। यह जो हरिजन के नाम पर एक अलाहिदा बिरादरी खड़ी हो गई उसकी आवश्यकता नहीं भी रहती। अब डा० अम्बेडकर जैसा विधि का विद्वान, उसको हरिजन कहना किस तरह उचित है? पुरानी व्यवस्था जो शास्त्रों की हैं, शास्त्रीय मर्यादा के तौर पर उसमें उसको ब्राह्मण का हक मिलना चाहिए। और वही दर्जा उसे देना चाहिए। यह हरिजन के नाम पर जो एक अलाहिदा वर्ग हो गया, हमने देखा है कि चाहे कितनी भी बात उनके हित की कही जाय उसके मन में भी यही विद्वेष की भावना रहती है कि उन्होंने हमको बहुत सताया है, हम भी अब उसका बदला निकालेंगे तो समाज में फूट और दरार तो वैसे की वैसी ही चली आ रही है जिसको आप दूर करना चाहते हैं। वह हमारा लक्ष्य कहां पूरा हुआ? लक्ष्य तो यही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब को योग्यतानुसार ऊपर जाने का मौका हो। यही बात शादी और सम्बन्ध की भी है। विवाह के लिए गुण, कर्म, और स्वभाव की बात देखी जाती है। उसमें बिरादरी की बात कहां आती है? जिसका जिसके साथ गुण, कर्म, स्वभाव मिलता है उनको आपस में विवाह का अधिकार है, शास्त्र इस बात की आज्ञा देता है। वह इस समय भी हो सकता है।

अब चूंकि समय नहीं है, मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं। अभी मेरे — एक भाई ने बड़ी उपयोगी बात कही थी कि अगर भारत में हम एकता लाना चाहते हैं और इस मनमुटाव को दूर करना चाहते हैं तो यह पृथक वर्ग जो बनाकर चल रहे हैं कि यह हरिजन छात्रावास है, यह फलां चीज है अलाहिदा से हरिजन नाम करके गिनाना ही एक इस तरह की भावना पैदा करना है जो ठीक नहीं है। उसके बजाय एक ही छात्रावास में से उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए और घुलमिलकर चलना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात जो बहुत आवश्यक है वह मैं कहना चाहता हूं कि—हरिजन के नाम पर भी हरिजनों में कुछ ही वर्ग ऐसे हैं जो लाभ उठा रहे हैं। तो शरीर तो स्वस्थ मनुष्य का तभी होगा जब ऊपर से नीचे तक प्रत्येक अंग प्रत्यंग काम करने में समर्थ हो। हरिजनों की उन्नति और उत्थान भी तभी होगा जब जो उसमें परिगणित कर दिये गए हैं, उन सब पर आपकी दृष्टि जाय, सदा प्रजातंत्रवाद में यह होता है कि जो ज्यादा शोर मचाता है वह ज्यादा मुनाफे में रहता है चाहे पहले से कितने मुनाफे में वह क्यों न हो और जो कि कुछ नहीं कहता है, जिसको योग्यता नहीं है अपनी बात कहने की, तो वह उस लाभ से वंचित रहता है। तो मेरा कहना यह है कि इन सब पर दृष्टि डाली जाय, सबके ही विकास का पूरा ध्यान रखा जाय। वाचिक रूप में तो बहुत हो चुका, अब क्रियात्मक रूप में हरिजनों के उद्धार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। समय की कमी से मैं इन्हीं थोड़े से शब्दों में अपने विचार व्यक्त करता हूं।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : सभापति महोदय, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि यहसरकार जो गांधी जी का बड़ा ही प्रचार करती है, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज जो यह डिबेट है यह 20 घंटे की क्यों रखी गई ? आखिर यह उनके माथे पर बहुत बड़ा कलंक का टीका है और हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं वह किसी को माफ नहीं करते। वह कहेंगे कि हुकूमत का कौल और फेल बिलकुल मुख्तलिफ था ; इस लिए लोग खफा हो हुये।

नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है ।
मजा तो जब है कि गिरतों को थाम्ह ले साकी ।।

तीनों रिपोर्टों को मैंने देखा, उसके बाद जो आई और उससे पहले जो आई, जबसे मैं पार्लियामेंट में आया, मैंने इन रिपोर्टों को देखा। उसमें बड़े साफतौर पर कहा गया है, लेकिन मैं इस गवर्नमेंट को मुबारक भी देता हूं कि बड़े ही साफ तौर पर उसमें कितना ही उसकी टीका टिप्पणी हो, उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। चौधरी रणधीर सिंह जी नाराज हो जायेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मजाल क्या है कि कोई जाट चारपाई पर बैठा हो और कोई रोगी हरिजन भी सामने चारपाई पर बैठ जाय। चारपाई पर मुकाबले में नहीं बैठ सकता। चौधरी साहब ने कहा कि बेचारों के कुएं भी बनते हैं तो ऐसी जगह कि मकानों के साथ वह भी डूब जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई जगह नहीं जहां उस रिपोर्ट में गवर्नमेंट की टीका-टिप्पणी न की गई हो। तीनों रिपोर्टों को ले लीजिए, तालीम ले लीजिए, मंदिरों को ले लीजिये, खाने पीने की जगह को ले लीजिये उनकी इक्वसाडि हालत को ले लीजिए, उनकी स्कालरशिप को ले लीजिए, बड़ी बड़ी जगह तो क्या, सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे थे चौधरी रणधीर सिंह। मामूली चपरासियों में देख लीजिए, उनके लिए जगह नहीं है। तो सरकार बड़ी हिम्मत वाली है कि सब टीका टिप्पणी सुनती है, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। यह बड़ी जुरंत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है।

अभी एक भाई ने. जिन्होंने कविता भी पढ़ी, कहा कि कभी भिक्षा मांगने से कोई चीज मिलती है ? हरिजनों को भी भीख मागने से कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। ठीक है। हजारों वर्षों से करोड़ों इंसानों के दिमाग में यह बातबिठा दी जाए कि वह बिरादरी में बराबर के नहीं हैं, उनका दर्जा कम है, यह एक बहुत बड़ा अन्याय है, पाप है जो उनके दिमाग में आज भी बैठा हुआ है। वरना मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ—मौलाना आजाद ने गुबारे खातिर में लिखा है कि एक चिड़िया के बच्चे को, चूजे को वह दाना खिला रहे थे, पर ज्यों ही उसको एहसास हुआ कि मैं उड़ सकता हू । वह उनके हाथ से उड़ा और छत पर बैठकर मौलाना आजाद का मजाक उड़ाने लगा। वह फरमाते हैं कि उसने चूं चूं करना शुरु किया, कि तुम क्या दाना खिलाओगे, दाना मैं अपनी हिम्मत से खुद खा सकता हूं। तो रिपोर्ट का कोई वर्क लीजिए, जिसमें मज्जमत न की गई हो, जिसमें हुकूमत की बेवफाई का जिक्र न किया गया हो, जिसमें सभा सोसाइटी की बेवफाई का जिक्र न किया गया हो। जिस दिन हरिजन भाइयों को और आदिवासियों को यह एहसास हो जाएगा कि इस देश के हम इसी तरह मालिक हैं जैसे दूसरे भाई मालिक हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वह उसी चिड़िया के बच्चे की तरह पेश आएंगे जिसने मजाक उड़ाया मौलाना आजाद का। यह हरिजन भाई जो आज कमजोर हैं, ज्यों ही यह महसूस करेंगे कि यह सारी हुकूमत इनके कन्धों पर खड़ी है। आज जगजीवन राम आंखें फेर लें, इंदिरा की हुकूमत गई । बड़ी सीधी साधी बात है। दूसरी सारी दुनियां को देखिए। काले गोरे की क्या तमीज हो, यहां संजीवैया तो इतने खूबसूरत हैं कि दूसरे बड़े-बड़े हिन्दू शर्मा जायें, रणधीर सिंह न शरमाएं वह बात दूसरी है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : आपसे कम खूबसूरत हैं।

श्री अब्दुल गनी डार : मेरी तो भाई अपनी बीत चुकी। अब बिताओ आप क्योंकि आप को बितानी है, मैं तो बिता चुका। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बिना किसी लाग-लपेट के, जो रिपोर्ट भी आई उसमें बड़ी मेहनत से कमिश्नर साहिब ने रिपोर्ट दी, बड़ी मेहनत से तमाम मजालिम को वह सामने लाए और मैं कई दफा मुसलमानों को कहता हूं, जब कोई मुझ से कहता है कि इतने लाख कट गए तो मैं कहता हूं कि हरिजन इनसे ज्यादा कटे। हरिजनों को काटने की जिम्मेदारी किस पर है ? मैं किसी पर नहीं डालता। आप तो मुसलमान को काटने की जिम्मेदारी जनसंघ पर डालते हैं पर मैं नहीं डालता। लेकिन बस्तर के राजा को किसने मारा ? वह आदिवासी था। राजा होना उस का जुर्म नहीं था। उसके दिमाग में यह खुद-दारी आई थी कि इस हिन्दुस्तान के हम भी उसी तरह मालिक हैं। जैसे हिन्दुस्तान के और बहुत से हिन्दू मालिक हैं। जिस दिन बगावत का यह ख्याल शिवनारायण के दिमाग में आ गया, जिस दिन एक एक हरिजन भाई बहन के दिमाग में यह ख्याल आया, वह मुल्क में एक इन्कलाब ला देंगे क्योंकि उनके बिना देश चल नहीं सकता। मैं आप से कहता हूं, आप सबसे बढ़े भाई हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हिन्दू भाई जो हैं वह इस मुल्क के निजाम को जिस तरह चाहे बदल सकते हैं। उन्होंने हरिजन भाइयों को भी एहसास कराया कि वह हरिजन हैं, वह कमजोर हैं तो उनका फर्ज है कि वह इसको भी पूरा करें। कैसे करें ? कुछ महकमें हैं जो सरकार के अपने हाथ में हैं। जैसे रेलवे की कैंटीन है। तमाम जगह कहे कि हरिजन ही खाना बनायेंगे, हरिजन ही खिलायेंगे, जिसको खाना हो खाए, जिसको भूखा मरना हो भूखा मरे। यह तो दीजिए, यह तो आपके हाथ की बात है। यह पब्लिक सैक्टर है। इसमें न कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है न सवार्डिनेट् सर्विसेज सेलेक्शन कमीशन है, न कोई प्राविंशियल मामला है। इसमें आप हरिजनों को बड़ी आसानी से रख सकते हैं। वह इतने पढ़े लिखे तो हैं कि आप उन्हें अफिसर बनाकर भेजिए। क्या जरूरत है कि आप आई० ए० एस0, आई0 सी0 एस0 ही भेजें, आप अपने साले के साले के साले के साले को भेजें ? इसके तो आप ही मालिक हैं। मैं सिर्फ सरकार से वह बात कह रहा हूं जहांकि उनका अपना अख्त्यार है, वहां तो हरिजनों को एकोमोडेट कर सकते हैं, वहां तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। पुलिस के मामले में हालांकि स्टेट्स को आपने अधिकार दे रखे हैं, लेकिन कुछ अख्तियारात सेन्टर के पास भी हैं, जैसे बार्डर पुलिस है, इंडस्ट्रीयल पुलिस है, रेलवे की पुलिस है। इनके मामले में सेन्टर को अख्तियारात हैं, आप इनमें हरिजनों को मौका दीजिए; ताकि उनको अहसास हो कि वे भी इसी मुल्क के रखवाले हैं।

मेरे हाथ में यह 8वीं रिपोर्ट है, जो कमेटी आपने बनाई थी, इसमें वह कहते हैं कि कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है, जो तआवुन देती हो। स्कोलरशिप्स के मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है, कई ऐसी बातें है, इसलिए मैं इन्दिरा बहन से कहना चाहता हूं, पब्लिक सैक्टर मे ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को मौका दें और कोई भी दुकान जो खाने पीने की हो और सरकार की मदद से खुलने वाली हो उसको अधिक तौर पर नहीं बल्कि पूरे तौर पर हरिजनों को दिया जाये, उसमें हरिजनों को ही रखा जाय ताकि हर मुसलमान, सिख, हिन्दू, ईसाई, जिसके पेट में भूख की आग लगती है, वह वहां जाकर आग बुझायेगा और हरिजनों के हाथ का जरूर खायेगा।

अब रहा मन्दिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों का सवाल अल्लामा इकबाल ने कहा है—

[श्री अब्दुल गनी दार]

आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज,
किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज ।
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज,
न कोई बन्दा रहा न कोई बन्दा नवाज ।
बन्दाओ साहिबो मुहताजो गनी एक हुए,
तेरी दरगाह में पहुंचे तो सभी एक हुए ।

उस की दरगाह में सब एक हैं । मुसलमानों में कोई हरिजन नहीं है, ईसाइयों में कोई हरिजन नहीं है, दुनियावालों में कोई हरिजन नहीं है, तो फिर आप जो सब के नेता रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को दीन, धर्म आत्मा, परमात्मा का सबक दिया, आप के यहां हरिजनों का किस्सा क्या है—मेरी समझ में नहीं आता । सभापति जी, जो देश सारी दुनिया को सभ्यता सिखाये, उन के यहां उन के ही जिस्म के एक टुकड़े को क्यों इस तरह से अलग रखा जाय कि वह कैंसर है । मैं चाहता हूं कि सरकार के हाथ में जितने भी साधन हैं उन का इस्तेमाल सरकार करे । स्टेशन पर पानी मिलाने का काम हरिजन को दिया जाय, वही पानी पिलाये, वही खाना खिलाये । पब्लिक सेक्टर में उन को मौका दिया जाय, पुलिस में मौका दिया जाय । मैं सूबों के बारे में अर्ज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां तो सेंटर सरकार है, इस लिए मैं इंदिरा बहन की सरकार को मुखातिब हो कर कह रहा हूं—वह जितना अपने बेटे संजय को प्यार करती हैं, उतना ही हरिजनों को प्यार करें । पब्लिक सैक्टर में अगर वह अपने बेटे को कार बनाने का काम दे सकती है तो किसी हरिजन बेटे को भी दे सकती हैं, इस में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रुपया सरकार ने लगाया है, घर से नहीं लगना है । 80 परसेन्ट यह सरकार दे और दूसरी सरकारें दें क्योंकि उन को खुश करने के लिए उन के साथ मिलने के लिए कोई भी मुल्क यह कहेगा कि हम कार बनाने के लिए रुपया लगाने को तैयार हैं, क्योंकि वह प्राइम मिनिस्टर का बेटा है । तो कम से कम पब्लिक सैक्टर में सब हरिजनों को भरती करें ताकि हरिजन ज्यादा से ज्यादा महसूस करें कि इन्दिरा बहन उन की बात सुनती हैं और चाहती हैं कि हकिकतन हरिजनों की जो मुश्किलात हैं, उन को हल किया जाय ।

अगर यह नहीं करते और आप आज के जमाने में, 20वीं सदी में, किसी को हरिजन तसव्वुर करते हैं और हरिजन के दिमाग में यह बात बैठाते हैं कि वह हरिजन हैं, तो फिर मेरे बस की बात नहीं है । चाहे मेरे भाई नाराज हो जाये, वे कितने ही प्रोग्रेसिव हों लेफ्ट हों, राइट हों, मुझे इस से बहस नहीं है, वे आज जमीन पर कब्जा करने का रहे हैं, खुदा करे कल वे बजाय जमीनों के असली जगह पर जा बैठे, असली जगह पर कब्जा करें, असली वह है—जहां रणधीर सिंह इतनी मेहनत के बावजूद नहीं पहुंच पाए, तो इतने सीनियर होने के बावजूद भी मिनिस्टर नहीं बन पाये वह जगह है—हुकूमत, अगर वह हुकूमत उन के हाथ में आजाय मेरा मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से है, जिस ने इस सरकार को, जो माइनौरिटी की, अकलियत की सरकार हैं, सहारा दे रखा है, अगर वे वहां पहुच गये

तो अपने आप मिटा देंगे, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब खत्म हो जायेंगे, न कोई हरिजन रहेगा, न छूत रहेगी न छात रहेगी, सब अपने आप खत्म, हो जायेगी। अगर उन में वहां जाने की हिम्मत नहीं है और वे समझते है कि हम में हिम्मत नहीं है, तो फिर उन को इतने नारे नहीं लगाने चाहिये। यह इतनी सस्ती बात नहीं है। यूं ही ज़मीन पर कब्ज़ा कर के अगर वह समझते है कि हम हरिजनों को खुश कर लेंगे, तो वे मुट्ठी भर हरिजनों को भी खुश नहीं कर पायेगें मुल्क में ला लेस नेस पैदा कर के वह ज़मीनों की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। मैं अपने नेता डा० राम सुभाग सिह से अपील करता हूं कहां गये महाराना प्रताप, जिनकी आप औलाद हैं, कहां गये शिवाजी, कहां गये राजपूत जिन्होंने बड़ी शान से आप को पैदा किया था आज आप के होते हुए इस सोसायटी के एक बहुत बड़े अंग को हरिजन कह कर, अछूत कह कर, उन को परेशान किया जाय। वह कहते है—

बसाने नक्श पाये राहे रवां कुए तमन्ना में,
नहीं उठने की ताकत है, क्या करें लाचार बैठे हैं।

आज उन को इस तरह जलीलो-खार किया जा रहा है। मेरे इन भाइयों ने अभी बतलाला कि एक तरफ प्लान मन्ज़ूर करते हैं, दूसरे हाथ से को छीन लेते हैं। एक तरफ रिजर्वेशन करते हैं, दूसरी तरफ उन को भरती नहीं करते हैं। मेरे एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा—पहले में उनका नम्बर 1.6 परसेन्ट हैं, दूसरे में 2.3 परसेन्ट है, तीसरे में 3 परसेन्ट—इस के माइने क्या हैं ? आप उनको 10 परसेन्ट भी देने के लिये तैयार नहीं हैं अगर आप उनको इतना हक भी देने के लिये तैयार नहीं हैं, तो तैयार हो जाइये, यहां पर खून की नदियां बहेंगी। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे भूखे मरने वाले वाच एण्ड वार्ड के लोग, पुलिस के लोग, हमारे घरों में सफाई करने वाले लोग उठेंगे उन के हाथ में तलवार होगी और अब्दुलगनी की गरदनें होगी। मैं यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द मुल्क के अन्दर रेवोल्यूशन आयेगा और उस रेवोल्यूशन को मुल्क की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। कब तक वह इस जुल्म को बरदास्त करते रहेंगे—एक वक्त आयेगा जब वह फील करेंगे कि हमारे नन्हे नन्हे बच्चे बगैर दवाई के तड़प कर मर जाते हैं, सफाई न होने की वजह से, निचान की वजह से, मखियों के शिकार होने की वजह से और जैसा रणधीर सिंह ने बताया—देहातों के जो हरिजन हैं, उनकी क्या हालत है—इन चीजों को अब वे बरदाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिये—किसी वक्त 100 फीस दी हरिजन उन के साथ होते थे, लेकिन आज वे उन से क्यों हट रहे थे ? बाबू जगजीवन राम कब तक कोहे-हिमालय बन कर खड़े रहेंगे, क्योंकि जग ब्रह्मपुत्र के पानी का बहाव आयेगा, तो वह उस हिमालय, उस पहाड़ी को, उस चट्टान को भी बहा कर ले जायगा और बाबू जी की कोई भी नहीं सुनेगा। अब वह ज्यादा पागल बनने को तैयार नहीं हैं, ज्यादा बहकावे में आने को तैयार नहीं है। इसी लिये मैं कहा करता हूं—

तमन्नाओं में उलझाया गया हूं,
खिलौने दे के बहलाया गया हूं।

हरिजन अब आप की इन बातों में नहीं आयेंगे। शिव नारायण जी यहां बैठे हैं, मैं उन से कहता हूं—बगावत का झण्डा बुलकन्द करो, खुल्लमखुला बुलन्द करो, फांसी पर चढ़ जाओ, जौन आफ़ आर्क का रोल प्ले करो अब हरिजन भाई यह कहें कि हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम को कौन रोकने वाला है।

सभापति महोदय, मुसलमानों ने एक एक गलती की थी। बावजूद इस के कि वे 90 फीसदी हिन्दुओं की औलाद है. पहले वह राजपूत थे, लेकिन मुसलमान होने के बाद राजपूत

[श्री अब्दुल गनी दार]

नहीं रहे, अब्दुलगनी दार एक ब्राह्मण की औलाद था, लेकिन अब्दुलगनी दार बनने के बाद ब्राह्मण नहीं रहा—यह बात उन के दिमागों में कैसे आये, इसी लिये उन को ठोकरे लगी, उन्होंने धोखा खाया, लेकिन आज के हरिजनों ने तो मुल्क के साथ सिवाय वफादारी के कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने कभी भी मुल्क के किसी भी मफाद के साथ बेवफाई नही की—फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? आज मनु भगवान का नाम क्यों लेते हैं, वह तो पांच हजार साल पहले की बात है। आज मनु भगवान नहीं; आज तो इन्दिरा भगवान है। इन्दिरा भगवान के होते हुए उनके साथ बेइन्साफी हो—कमिश्नर की रिपोर्ट पुकार पुकार कर रही है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मैं पूछता हूं—महाभारत की लड़ाई क्या थी—वहां भी न्याय और अन्याय का झगड़ा था सत्य और असत्य का झगड़ा था...

شری عبد الغنی ڈار (گوڑگاؤں): سبھاپتی مہودے۔ مجھے اس بات پر شرم آتی ہے کہ سرکار جو گاندھی جی کا بڑا ہی پرچار کرتی ہے اس کو اس بات کا ساہس ہونا چاہئے کہ آج جو یہ ڈیبیٹ ہے یہ بیس گھنٹوں کی کیوں رکھی گئی ہے؟ آخر یہی ان کے ماتھے پر کلنک کا بہت بڑا ٹیکہ ہے اور یہ سٹوڈنٹ جو ہسٹری لکھتے ہیں وہ کسی کو معاف نہیں کرتے وہ کہیں گے کہ اس حکومت کا قول و فعل بالکل مختلف تھا اس لئے لوگ خفا ہوئے۔

نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے
مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی

تینوں رپورٹوں کو میں نے دیکھا اس کے بعد جو آئی اور اس کے پہلے جو آئی۔ جب سے میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوا ہوں میں نے ان رپورٹوں کو دیکھا اس میں بڑے صاف طور سے کہا گیا ہے لیکن میں اس گورنمنٹ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ بڑے ہی صاف طور پر اس میں

کمیشن ہی اس کی ٹیکا ٹپنی ہوا ہے اور یہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ چودھری رندھیر سنگھ جی ناراض ہو جائیں گے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بحال کیا ہے کہ کوئی جاٹ چارپائی پر بیٹھا ہو اور کوئی اور رنگی ہریجن بھی سامنے چارپائی پر بیٹھ جائے۔ چارپائی پر مقابلے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ چودھری صاحب نے کہا کہ بیچارے کئی ممبر بھی بنتے ہیں تو ایسی جگہ کہ مکانوں کے ساتھ وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جگہ نہیں جہاں اس رپورٹ میں سرکار کی ٹیکا ٹپنی نہ کی گئی ہو۔ تینوں رپورٹوں کو لے لیجیئے۔ ان کی اقتصادی حالت کو لے لیجیئے ان کے لئے جگہ نہیں ہے تو سرکار بڑی ہمت والی ہے ان کی سکالرشپ کو لے لیجیئے بڑی بڑی جگہ تو کیا سیکرٹریٹ میں بھیج رہے تھے چودھری رندھیر سنگھ معمولی چپراسی دس بیس دیکھ لیجیئے۔ ان کے لئے جگہ نہیں ہے تو سرکار بڑی ہمت والی ہے کہ سب ٹیکا ٹپنی سنتی ہے لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہے یہ بڑی ہی جرأت کی بات ہے ابھی ایک بھائی نے جعفروں نے کہ دیتا ابھی پڑھی کہا کہ کبھی بھکشا۔ مانگنے سے کوئی چیز ملی۔ ہریجنوں کو بھی بھیک مانگنے سے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہزاروں برسوں سے کروڑوں انسانوں کے دماغ

میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ وہ برابر کا حصہ دار کے نہیں ہیں ان کا۔ رجحان ہے یہ ایک بہت اندھیرا ہے۔ پاپ ہے جو ان کے دماغوں میں آج بھی بیٹھا ہوا ہے ورنہ میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں مولانا آزاد نے غبار خاطر میں لکھا ہے کہ ایک چڑیا کے بچے کو۔ چڑیا کو وہ دانہ کھلا رہے تھے پر جونہی اس کو احساس ہوا کہ میں اڑ سکتا ہوں وہ ان کے ہاتھ سے اڑا اور چھت پر بیٹھ کر مولانا آزاد کا مذاق اڑانے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے چوں چوں کرنا شروع کیا کہ تم کیا دانہ کھلاؤ گے دانہ میں اپنی ہمت سے خود کھا سکتا ہوں۔ تو رپورٹ کا کوئی ورق لیجیے جس میں مذمت نہ کی گئی ہو جس میں حکومت کی بے دلی کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ جس دن ہریجن بھائیوں کو اور آدی واسیوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ دیش کے ہم اسی طرح مالک ہیں جیسے دوسرے بھائی مالک ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسی چڑیا کے بچے کی طرح پیش آئیں گے جس نے مولانا آزاد کا مذاق اڑایا۔

ہریجن بھائی جو آج کمزور ہیں جیوں ہی وہ محسوس کریں گے کہ ساری حکومت ان کے کن چیزوں پر کھڑی ہے۔ آج جگجیون رام آنکھیں پھیر لیں اندرا کی حکومت گئی۔ بڑی سیدھی سادی بات ہے دوسری ساری دنیا کو دیکھیے کالے گورے کی کیا تمیز ہے یہاں سینکڑوں یا تو اتنے خوبصورت ہیں کہ دوسرے بڑے بڑے ہندو شرما جائیں۔ رندھیر سنگھ نہ شرمائیں وہ بات دوسری ہے

شری رندھیر سنگھ۔ آپ کو خوبصورت ہیں

شری عبدالغنی ڈار۔ میری تو بھائی اپنی بیوی تیجی ہے اب بتانے آپ کیونکہ آپ کو بتائی ہے۔ میں تو بتا چکا ہوں۔

لیکن میں کہنا چاہتا ہوں بنا کسی لاگ لپیٹ کے جو رپورٹ بھی آئی ہے اس میں بڑی محنت سے کمشنر صاحب نے رپورٹ دی بڑی محنت سے تمام مظالم کو وہ سامنے لائے ہیں اور میں کئی دفعہ مسلمانوں کو کہتا ہوں جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ اتنے لاکھ کٹ گئے تو میں کہتا ہوں کہ ہریجن ان سے زیادہ کٹے۔ ہریجنوں کو کاٹنے کی ذمہ داری کس پر ہے۔ میں کسی پہ نہیں ڈالتا آپ کو مسلمانوں کو کاٹنے کی ذمہ داری جن سنگھ پہ ڈالتے ہیں میں نہیں ڈالتا لیکن بستر کے راجہ کو کس نے مارا؟ وہ آدمی وہ اسی خفا را جو ہوتا کوئی اس کا جرم نہیں تھا اس کے دماغ میں یہ خودداری آئی تھی کہ اس ہندوستان کے ہم بھی اسی طرح مالک ہیں جیسے ہندوستان کے اور بہت سے ہندو مالک ہیں۔ جس دن لعنت کا یہ خیال شیو نارائن کے دماغ میں آ گیا جس دن ایک ایک ہریجن بھائی بہن کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ ملک میں ایک انقلاب لا دیں گے کیونکہ ان کے بنا دیش نہیں چل سکتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ سب سے بڑے بھائی ہیں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہندو بھائی جو ہیں وہ اس ملک کے نظام کو جس طرح چاہیں بدل سکتے ہیں انھوں نے ہریجن بھائیوں کو بھی احساس کرایا کہ وہ ہریجن ہیں وہ کمزور ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو بھی پورا کریں

لیے کریں۔ یہ کچھ ... جو سرکار کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے ریلوے کی کیٹرنگ ہے تمام جگہ کہے کہ ہریجن ہی کھانا بنائیں گے۔ ہریجن ہی کھلائیں گے۔ جس کو کھانا ہو کھائے جس کو بھوکا مرنا ہو مرے۔ یہ تو دیا کیجئے۔ یہ تو آپ کے ہاتھ کی بات ہے یہ پبلک سیکٹر ہے اس میں نہ کوئی یونین پبلک سروس کمیشن ہے اور نہ سب آرڈینیٹ سروسز سلیکشن کمیشن ہے نہ کوئی پرائیوٹ فیشل معاملہ ہے اس میں آپ ہریجنوں کو بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے تو ہیں کہ آپ ان کو آفیسر بنا کر بھیجئے۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ آئی۔ اے۔ ایس آئی۔ سی۔ ایس۔ ہی بھیجیں یا آپ اپنے سالے کے سالے کے سالے کو بھیجیں اس کے تو آپ ہی مالک ہیں۔ میں صرف سرکار سے وہ بات کہہ رہا ہوں جہاں کہ ان کا اپنا اختیار ہے وہاں تو ہریجنوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہاں تو دقت کی کوئی بات نہیں ہے پولیس کے معاملہ میں حالانکہ سٹیٹس کو اپنے ادھیکار دے رکھے ہیں لیکن کچھ اختیارات سنٹر کے پاس بھی ہیں جیسے بارڈر پولیس ہے انڈسٹریل پولیس ہے ریلوے کی پولیس ہے ان کے معاملہ میں سنٹر کو اختیارات ہیں آپ ان میں ہریجنوں کو موقع دیجئے تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ آفیشیل رپورٹ ہے جو کمیٹی آپ نے بنائی تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو تعاون دیتی ہو سکالرشپ کے معاملہ میں سنوائی نہیں ہوتی ہے کچھ ایسی باتیں ہیں اس لئے میں اندرا بہن سے کہنا چاہتا ہوں پبلک سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ ہریجنوں کو موقع دیں اور کوئی بھی دکان جو کھانے پینے کی ہو اور سرکار کی مدد سے کھولی جاتی ہو اس کو ادھک طور پر نہیں بلکہ پورے طور پر ہریجنوں کو دیا جائے۔ اس میں ہریجنوں کو ہی رکھا جائے تاکہ ہر مسلمان۔ سکھ۔ عیسائی۔ ہندو۔ جس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگتی ہے وہ وہاں جا کر آگ بجھائیگا اور ہریجنوں کے ہاتھ کا ضرور کھانے لگا۔

اب رہا مندروں۔ مسجدوں اور گوردواروں کا سوال۔ علامہ اقبال نے کہا ہے۔

آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔

اس کی درگاہ میں سب ایک ہیں مسلمانوں میں کوئی ہریجن نہیں ہے عیسائیوں میں کوئی ہریجن نہیں ہے دنیا والوں میں کوئی ہریجن نہیں ہے پھر آپ جو سب کے نیتا رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو دین دھرم۔ آتما۔ پرماتما کا سبق دیا آپ کے یہاں ہریجنوں کا قصہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا سبھاپتی جی۔ جو دیش ساری دنیا کو سمجھنا سکھائے ان کے یہاں ان کے ہی جسم کے ٹکڑے کو کیوں اس طرح سے الگ رکھا جائے کہ وہ کینسر ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے ہاتھ میں جتنے بھی سادھن ہیں ان کا استعمال سرکار کرے۔ سٹیشن پر پانی پلانے کا کام ہریجن کو دیا جائے۔ وہی پانی پلائے وہی کھانا کھلائے۔ پبلک سیکٹر میں ان کو موقع دیا جائے۔ میں صوبوں کے بارے میں عرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ

یہاں تو سینٹر سرکار ہے اس لئے میں ان راجیوں کی سرکار کو مخاطب کر رہا ہوں وہ جتنا اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہیں اتنا ہی ہریجنوں کو پیار کریں پبلک سیکٹر میں اگر وہ اپنے بیٹے کو کاربنانے کا حکم دے سکتی ہیں تو کسی ہریجن بیٹے کو بھی دے سکتی ہیں اس میں کوئی ہرج نہیں ہے گھر سے نہیں لگانا ہے اسی پرسینٹ یہ سرکار دے اور دوسری سرکاریں دیں کیونکہ ان کو خوش کرنے کے لئے ان کے ساتھ ملنے کے لئے کوئی بھی ملک یہ کہے گا کہ ہم کار بنانے کے لئے روپیہ لگانے کو تیار رہیں کیونکہ وہ پرائم منسٹر کا بیٹا ہے تو کم از کم پبلک سیکٹر میں سب ہریجنوں کو بھرتی کریں تاکہ ہریجن زیادہ سے زیادہ محسوس کریں کہ اندرا جی ان کی بات سنتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ جو مشکلیں ہیں ان کو حل کیا جائے اگر یہ نہیں کرتے تو آپ آج کے زمانے میں بھی سماج میں کسی کو ہریجن تصور کرتے ہیں اور ہریجن کے دماغ میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ وہ ہریجن ہے تو پھر میرے بس کی بات نہیں ہے چاہے میرے بھائی ناراض ہو جائیں وہ کتنے ہی پرانے کانگریسی ہوں۔ لیفٹسٹ ہوں یا رائٹسٹ ہوں مجھے اس سے بحث نہیں ہے وہ آج زمین پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں خدا کرے کل وہ بجائے زمینوں کے اصلی جگہ پر جا بیٹھیں اصلی جگہ پر قبضہ کریں اصلی جگہ وہ ہے جہاں اندرا جی بیٹھی ہیں جو اتنی محنت کے باوجود نہ پہنچ پائے۔ جو اتنے سینیئر ہونے کے باوجود بھی منسٹر نہیں بن پائے۔ وہ جگہ ہے حکومت اگر وہ حکومت ان

کے ہاتھ میں آ جائے میرا مطلب کمیونسٹ پارٹی سے ہے جس نے اس سرکار کو جو مائینورٹی کی ہے فلیت کی سرکار ہے سہارا دے رکھا ہے اگر وہ وہاں پہنچ گئے تو آپ مٹا دیں گے مندر۔ مسجد۔ گردوارے سب ختم ہو جائیں گے۔ نہ کوئی ہریجن رہے گا نہ چھوت رہے گی سب اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اگر ان میں وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں ہمت نہیں ہے تو پھر ان کو

ان کو اتنے نعرے نہیں لگانے نہیں چاہئیں یہ اتنی سستی بات نہیں ہے یوں ہی زمین پر قبضہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہریجنوں کو خوش کر لیں گے تو وہ ستر کروڑ بھرتیوں کو کبھی خوش نہیں کر پائیں گے ملک میں لاقانونیت پیدا کر کے وہ زمین کی سمسیا حل نہیں کر سکیں گے۔ میں اپنے نیتا ڈاکٹر رام سبھاگ سنگھ سے اپیل کرتا ہوں کہ کہاں گئے مہاتما پرتاپ جن کی آپ اولاد ہیں۔ کہاں گئے شیواجی۔ کہاں گئے وہ اچھوت جنھوں نے بڑی شان سے آپ کو پیدا کیا تھا۔ آج آپ کے ہوتے ہوئے اس سوسائٹی کے بہت بڑے انگ کو ہریجن کہہ کر۔ اچھوت کہہ کر ان کو پریشان کیا جائے

جو کہتے ہیں

ہسانے نقش پائے راہ رو ان کو یہ تمنا ہیں نہیں اٹھنے کی طاقت ہے کیا کریں لاچار بیٹھے ہیں

آج ان کو اس طرح ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے میرے ان بھائیوں نے ابھی بتایا کہ اس طرف پلان منظور کرتے ہیں دوسرے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں ایک

کی کوئی بھی نہیں سنے گا اب وہ زیادہ پاگل بننے کے لئے تیار نہیں ہیں زیادہ بہکاوے میں آنے کو تیار نہیں ہیں اسی لئے میں کہا کرتا ہوں۔

تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں

کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔

ہریجن اب آپ کی ان باتوں میں نہیں آئیں گے شیو نارائن جی یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بغاوت کا جھنڈا بلند کریں۔ کھلم کھلا بلند کریں۔ پھانسی پر چڑھ جائیں جان آف آرک کا رول پلے کریں۔ اب ہریجن بھائی یہ کہیں کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں ہم کو کون روکنے والا ہے۔

سبھاپتی مہودے۔ مسلمانوں نے ایک غلطی کی تھی باوجود اس کے کہ ننانوے فیصدی ہندوؤں کی اولاد میں پہلے وہ راجپوت تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد راجپوت نہیں رہے۔ عبدالغنی ڈار ایک براہمن کی اولاد تھا لیکن عبدالغنی ڈار بننے کے بعد براہمن نہیں رہا یہ بات ان کے دماغوں میں کیسے آئے اسی لئے ان کو ٹھوکر لگی۔ انھوں نے دھوکا کھایا لیکن آج کے ہریجن نے تو ملک کے ساتھ سوائے وفاداری کے کچھ نہیں کیا اس نے کبھی بھی ملک کے کسی بھی مفاد کے ساتھ بے وفائی نہیں کی پھر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں ہے آج منو بھگوان کا نام کیوں لیتے ہیں وہ تو پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے آج منو بھگوان نہیں آج نیا نارد بھگوان ہیں۔ نارد بھگوان کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ بے انصافی ہے۔ کمشنر کی رپورٹ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انیائے ہو رہا ہے میں پوچھتا ہوں مہابھارت کی لڑائی کیا تھی وہاں بھی نیائے اور انیائے کا جھگڑا تھا ستیہ اور استیہ کا جھگڑا تھا۔

طرف ریزرویشن کرتے ہیں دوسری طرف ان کو بھرتی نہیں کرتے ہیں میرے ایک سوال کے جواب میں انھوں نے کہا کہ پہلے میں اس کا نمبر 1.6 پرسینٹ ہے دوسرے میں 2.3 پرسینٹ ہے تیسرے میں 3 پرسینٹ ہے اس کے معنی کیا ہیں آپ ان کو دس پرسینٹ بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو اتنا حق بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہیں تو تیار رہو جائیں یہاں پر خون کی ندیاں بہیں گی وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے بھوک کے مرنے والے داوج ابنا ڈار کے لوگ، پولیس کے لوگ ہمارے گھروں میں صفائی کرنے والے لوگ اٹھیں گے ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور

عبدالغنی کی گردن ہوگی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد ملک کے اندر ریوولیوشن آئیگا اور اس ریوولیوشن کو ملک کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یہ کب تک وہ اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے ایک وقت آئے گا جب وہ فیل کریں گے ہمارے ننھے ننھے بچے بغیر دوائی کے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ نجاست کی وجہ سے مکھیوں کا شکار ہونے کی وجہ سے اور جیسا رنبیر سنگھ نے بتایا بہاتوں کے جو ہریجن ہیں ان کی کیا حالت ہے ان چیزوں کو وہ اب برداشت نہیں کریں گے۔ اس سرکار کو یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ کسی وقت سو فیصدی ہریجن ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن آج وہ ان سے کیوں ہٹے رہتے ہیں۔ بابو جگجیون رام کب تک کوہ ہمالیہ بن کر کھڑے رہیں گے کیونکہ جب برہم پتر کے پانی کا بہاؤ آئیگا تو وہ اس ہمالیہ۔ اس پہاڑی کو۔ اس چٹان کو بھی بہا کر لے جائے گا اور بابو جی